

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-185

जिसका उत्तर 04 जुलाई, 2019 को दिया जाना है ।

औद्योगिक क्षेत्र को विद्युत आपूर्ति

*185. श्री कपिल मोरेश्वर पाटील:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का औद्योगिक क्षेत्र को बिजली की पर्याप्त आपूर्ति करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने बढ़ी ऊर्जा दक्षता के लिये राष्ट्रीय मिशन (एनएमईईईई) के अंतर्गत ऊर्जा की अधिक खपत करने वाले 8 क्षेत्रों में औद्योगिक इकाइयों की विशिष्ट ऊर्जा खपत को कम करने हेतु उनके लिये कोई मानदंड अथवा मानक निर्धारित किये हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) औद्योगिक इकाइयों द्वारा ऊर्जा की खपत कम करने हेतु इन इकाइयों ने विगत तीन वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार किस सीमा तक लक्ष्य हासिल किये हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री

(श्री आर. के. सिंह)

(क) से (ङ) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

"औद्योगिक क्षेत्र को विद्युत आपूर्ति" के बारे में लोक सभा में दिनांक 04.07.2019 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 185 के भाग (क) से (ड) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) और (ख) : विद्युत एक समवर्ती सूची का विषय है। औद्योगिक क्षेत्र सहित सभी उपभोक्ताओं को विद्युत उपलब्ध कराने का दायित्व मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकार/विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) का होता है। वर्तमान में देश में संस्थापित उत्पादन क्षमता लगभग 357 गीगावाट है जो औद्योगिक क्षेत्र सहित देश में विद्युत की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है।

(ग) से (ड) : ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 की धारा 14 के खंड (छ) तथा (ढ) के अनुसार सरकार ने निष्पादन, प्राप्ति तथा व्यापार (पीएटी) पहल के माध्यम से नेशनल मिशन फॉर एनहैंसड एनर्जी (एनएमईईई) के अंतर्गत 8 क्षेत्रों में अधिक ऊर्जा खपत करने वाले उद्योगों द्वारा ऊर्जा के दक्ष उपयोग हेतु ऊर्जा निष्पादन मानक निर्धारित किए हैं।

पीएटी चक्र-1 की शुरुआत अप्रैल 2012 में हुई थी जिसके अंतर्गत 8 क्षेत्रों अर्थात् एल्युमिनियम, सीमेंट, अम्लीय क्षार, उर्वरक, लौह एवं इस्पात, कागज एवं लुगदी, ताप विद्युत संयंत्र और कपड़ा क्षेत्र के 478 निर्दिष्ट उपभोक्ताओं (डीसी) की विशिष्ट ऊर्जा खपत (एसईसी) कम करने के लिए लक्ष्य अधिसूचित किए गए थे। समग्र एसईसी कमी का लक्ष्य 3 वर्षों में 6.686 मिलियन टन तेल के समतुल्य (एमटीओई) की कुल ऊर्जा बचत हासिल करना था। पीएटी चक्र-1 31 मार्च, 2015 को पूरा किया गया था। पीएटी चक्र-1 में की गयी कुल ऊर्जा बचत 8.67 एमटीओई थी जो लक्ष्य से लगभग 30 प्रतिशत अधिक थी। इस ऊर्जा बचत से 31 मिलियन टन कार्बनडाई ऑक्साइड के उत्सर्जन से बचाव हुआ है।

पीएटी चक्र-1 के अंतर्गत प्राप्त उपलब्धियों का राज्य/यूटिलिटी-वार ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

पीएटी चक्र-1 के बाद 13 क्षेत्रों से दिए गए लक्ष्यों से कुल 956 निर्दिष्ट उपभोक्ता (डीसी) से पीएटी चक्र- II,III,IV एवं V की शुरुआत की गयी है। देश के लिए चक्र II,III,IV एवं V से कुल लक्षित बचत लगभग 11.14 एमटीओई है।

"औद्योगिक क्षेत्र को विद्युत आपूर्ति" के बारे में लोक सभा में दिनांक 04.07.2019 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 185 के उत्तर में दिए गए विवरण के भाग (ग) से (ङ) में उल्लिखित अनुबंध।

पीएटी चक्र-1 के अंतर्गत उपलब्धियों का ब्यौरा

| क्रम सं. | राज्य | एमटीओई में कुल लक्ष्य | एमटीओई में कुल बचत |
|----------|---------------|-----------------------|--------------------|
| 1 | आंध्र प्रदेश | 0.25 | 0.18 |
| 2 | असम | 0.08 | 0.06 |
| 3 | बिहार | 0.05 | 0.03 |
| 4 | छत्तीसगढ़ | 0.64 | 0.65 |
| 5 | दिल्ली | 0.06 | 0.07 |
| 6 | गोवा | 0.01 | 0.03 |
| 7 | गुजरात | 0.59 | 0.86 |
| 8 | हरियाणा | 0.27 | 0.41 |
| 9 | हिमाचल प्रदेश | 0.03 | 0.05 |
| 10 | झारखंड | 0.52 | 0.63 |
| 11 | कर्नाटक | 0.33 | 0.36 |
| 12 | केरल | 0.01 | 0.01 |
| 13 | मध्य प्रदेश | 0.50 | 0.75 |
| 14 | महाराष्ट्र | 0.69 | 0.72 |
| 15 | मेघालय | 0.01 | 0.01 |
| 16 | ओडिशा | 0.54 | 1.00 |
| 17 | पुडुचेरी | 0.00 | -0.01 |
| 18 | पंजाब | 0.34 | 0.44 |
| 19 | राजस्थान | 0.36 | 0.72 |
| 20 | तमिलनाडु | 0.41 | 0.22 |
| 21 | तेलंगाना | 0.11 | 0.22 |
| 22 | त्रिपुरा | 0.01 | -0.0005 |
| 23 | उत्तर प्रदेश | 0.40 | 0.75 |
| 24 | उत्तराखंड | 0.01 | 0.03 |
| 25 | पश्चिम बंगाल | 0.47 | 0.48 |
| | कुल | 6.68 | 8.67 |

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2053

जिसका उत्तर 04 जुलाई, 2019 को दिया जाना है।

प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना-सौभाग्य

2053. डॉ. सुकान्त मजूमदार:

श्री खगेन मुर्मु:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने देश के सभी इच्छुक परिवारों के घरों के विद्युतीकरण सुनिश्चित करने हेतु प्रधानमंत्री सहज बिजली घर योजना-सौभाग्य नामक एक नई योजना प्रारंभ की है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी विशेषताएं, संभावित परिणाम, स्वीकृत निधि और लाभार्थियों की संख्या कितनी है;
- (ग) क्या सरकार ने नागरिकों को निःशुल्क विद्युत हेतु पंजीकरण कराने और घरों के विद्युतीकरण की प्रगति की निगरानी के लिए कोई वेब पोर्टल प्रारंभ किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (घ) क्या देश में चार करोड़ विद्युत रहित घर हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और
- (ङ) सरकार द्वारा देश में 'सभी के लिए विद्युत' प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री

(श्री आर. के. सिंह)

(क) से (ङ): भारत सरकार ने 11 अक्टूबर, 2017 में 16,320 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना-सौभाग्य शुरू की थी। इस स्कीम की प्रमुख विशेषताएं निम्नानुसार हैं:

- (i) अंतिम छोर कनेक्टिविटी और ग्रामीण क्षेत्रों में सभी गैर-विद्युतीकृत घरों को विद्युत कनेक्शन प्रदान करना।

- (ii) दूर-दराज एवं दुर्गम गांवों/बस्तियों जहां ग्रिड का विस्तार न तो व्यवहार्य है और न ही लागत प्रभावी है, में स्थित गैर-विद्युतीकृत घरों के लिए सोलर फोटो वॉल्टिक (एसपीवी) आधारित स्टैंड अलोन प्रणालियां।
- (iii) अंतिम छोर कनेक्टिविटी और शहरी क्षेत्रों में आर्थिक रूप से निर्धन सभी शेष गैर-विद्युतीकृत घरों को विद्युत कनेक्शन। गैर-निर्धन शहरी घरों को इस स्कीम से बाहर रखा गया है।

इस स्कीम के संभावित परिणाम निम्नानुसार हैं:

- आर्थिक गतिविधियों एवं कार्य अवसरों में वृद्धि।
- बच्चों की शिक्षा में सुधार।
- रोशनी की व्यवस्था के माध्यम से लोगों की सुरक्षा में सुधार।
- स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार।
- दैनिक कामकाज में विशेषकर महिलाओं के लिए, जीवन की बेहतर गुणवत्ता
- मिट्टी का तेल एवं उससे जुड़ी परेशानियों का प्रतिस्थापन
- संचार (रेडियो, टेलीविजन, मोबाइल आदि) तक पहुंच।

सार्वभौमिक घरों के विद्युतीकरण की निगरानी करने के लिए नवंबर, 2017 में सौभाग्य वेब पोर्टल <http://saubhagya.gov.in> शुरू किया गया था। राज्य सरकारों/विद्युत वितरण यूटिलिटियों से आवेदन पंजीकृत करने और विद्युत कनेक्शन जारी करने में तेजी लाने के लिए मोबाइल ऐप शुरू करने के लिए कहा गया था।

जैसी कि सूचना दी गई है राज्यों ने सौभाग्य पोर्टल पर सार्वभौमिक विद्युतीकरण की घोषणा की है और 2.62 करोड़ इच्छुक घरों का छत्तीसगढ़ के वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र में 18,734 घरों को छोड़कर सौभाग्य स्कीम शुरू होने से लेकर 31.3.2019 तक विद्युतीकरण कर दिया गया था।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2071

जिसका उत्तर 04 जुलाई, 2019 को दिया जाना है ।

पथ प्रकाश राष्ट्रीय कार्यक्रम

2071. श्री बी.बी. पाटील:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार देश में पारंपरिक पथ प्रकाश के स्थान पर एलईडी लाइटों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए पथ प्रकाश राष्ट्रीय कार्यक्रम (एसएलएनपी) को कार्यान्वित कर रही है और यदि हां, तो अब तक स्थापित किए गए पथ प्रकाश की संख्या सहित योजना का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या एसएलएनपी को वर्तमान में केवल कुछ चुनिंदा राज्यों में कार्यान्वित किया जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;
- (ग) अब तक एसएलएनपी के अंतर्गत पथ प्रकाश को एलईडी लाइटों से प्रतिस्थापित करने के लिए एनर्जी एफिसिएन्सी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) से अनुबंध करने वाले स्थानीय निकायों की कुल संख्या कितनी है;
- (घ) क्या सरकार ने परियोजना के कार्यान्वयन के संबंध में कोई अध्ययन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ङ) सरकार द्वारा एसएलएनपी के प्रभावी कार्यान्वयन के संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री

(श्री आर. के. सिंह)

(क) से (ग) : मार्च, 2019 तक 1.34 परंपरागत स्ट्रीट लाइटों को ऊर्जा दक्ष एलईडी स्ट्रीट लाइटों से बदलने के लिए माननीय प्रधान मंत्री ने 05 जनवरी, 2015 को स्ट्रीट लाइटिंग नेशनल प्रोग्राम (एसएलएनपी) की शुरुआत की। एसएलएनपी विद्युत मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) की एक संयुक्त उद्यम कंपनी एनर्जी एफिसिंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। यह कार्यक्रम

स्वैच्छिक स्वरूप का है और भारत सरकार से किसी बजटीय सहायता के बिना चलता है। एलईडी स्ट्रीट लाइटों की आपूर्ति, संस्थापन और रखरखाव में संपूर्ण निवेश ईईएसएल द्वारा किया जाता है। शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) द्वारा ईईएसएल को भुगतान कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल स्ट्रीट लाइटों के संबंध में बिजली के बिलों और रख-रखाव की लागत में कमी की दृष्टि से प्राप्त बचत से सात वर्षों की अवधि में किया जाता है।

आज की स्थिति के अनुसार कुल 1502 शहरी स्थानीय निकायों ने परंपरागत स्ट्रीट लाइटों को एलईडी स्ट्रीट लाइटों से बदलने के लिए ईईएसएल के साथ कार्यान्वयन करार हस्ताक्षरित किया है। इन यूएलबी में से 859 यूएलबी में संस्थापन कार्य पूरा हो गया है। आज तक ईईएसएल 29 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में 92 लाख से अधिक एलईडी स्ट्रीट लाइटें लगा चुका है। एसएलएनपी के कार्यान्वयन संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(घ) : ईईएसएल ने हिमाचल प्रदेश और राजस्थान राज्यों में एसएलएनपी के कार्यान्वयन संबंधी अध्ययन किए हैं। इन अध्ययनों से प्राप्त निष्कर्षों का सार **अनुबंध-II** में दिया गया है।

(ङ) : यह कार्यक्रम स्वैच्छिक स्वरूप का होने के कारण, एसएलएनपी के प्रभावी कार्यान्वयन और शेष राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में कार्यान्वयन शीघ्र करने के लिए ईईएसएल/सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

- शेष राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में परंपरागत स्ट्रीट लाइटों को एलईडी स्ट्रीट लाइटों से बदलने के लिए ईईएसएल ने प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया है।
- संबंधित राज्यों में एसएलएनपी कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए सचिव (विद्युत) द्वारा सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के सभी मुख्य सचिवों को पत्र जारी किया गया है।
- लगाई गई स्ट्रीट लाइटों के निष्पादन की सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल एंड मॉनीटरिंग सिस्टम (सीसीएमएस) द्वारा रीयल टाइम निगरानी की जाती है।

लोक सभा में दिनांक 04.07.2019 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2071 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

एसएलएनपी के कार्यान्वयन का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा

| क्रम सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | यूएलबी हस्ताक्षरित होने की तिथि तक संख्या | एलईडी स्ट्रीट लाइटें संस्थापित करने की तारीख तक संख्या |
|--------------------------|-------------------------|---|--|
| राज्य | | | |
| 1 | आंध्र प्रदेश | 108 | 27,64,981 |
| 2 | असम | 3 | 23,651 |
| 3 | बिहार | 143 | 2,45,917 |
| 4 | छत्तीसगढ़ | 168 | 3,54,427 |
| 5 | गोवा | 14 | 2,06,790 |
| 6 | गुजरात | 148 | 8,83,497 |
| 7 | हरियाणा | 1 | 65,231 |
| 8 | हिमाचल प्रदेश | 48 | 54,321 |
| 9 | जम्मू और कश्मीर * | - | 11,991 |
| 10 | झारखंड | 43 | 98,889 |
| 11 | कर्नाटक* | - | 9,882 |
| 12 | केरल | 4 | 70,807 |
| 13 | मध्य प्रदेश | 2 | 81,870 |
| 14 | महाराष्ट्र | 355 | 6,15,522 |
| 15 | ओडिशा | 109 | 3,19,410 |
| 16 | पंजाब | 16 | 89,052 |
| 17 | राजस्थान | 191 | 10,21,192 |
| 18 | सिक्किम * | - | 868 |
| 19 | तमिलनाडु * | - | 6,689 |
| 20 | तेलंगाना | 76 | 8,56,676 |
| 21 | त्रिपुरा | 20 | 75,376 |
| 22 | उत्तर प्रदेश | 43 | 8,85,079 |
| 23 | उत्तराखंड | 1 | 41,940 |
| 24 | पश्चिम बंगाल | 6 | 41,119 |
| संघ राज्य क्षेत्र | | | |
| 25 | अंडमान और निकोबार | 1 | 13,500 |
| 26 | चंडीगढ़ | 1 | 42,103 |
| 27 | दिल्ली | 1 | 3,22,412 |
| 28 | लक्षद्वीप* | - | 1,000 |
| 29 | पुडुचेरी* | - | 450 |
| | कुल | 1,502 | 92,04,642 |

* इन राज्यों/संघ राज्य में केवल प्रदर्शन परियोजनाएं सफलतापूर्वक पूरी की गई हैं।

लोक सभा में दिनांक 04.07.2019 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2071 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

हिमाचल प्रदेश और राजस्थान राज्यों में एलईडी स्ट्रीट लाइटों के कार्यान्वयन संबंधी मामला अध्ययनों के परिणामों का सार

1. हिमाचल प्रदेश : ईईएसएल द्वारा नमूना आधार पर किए गए सर्वे के अनुसार हिमाचल प्रदेश में स्ट्रीट लाइट नेशनल प्रोग्राम के कार्यान्वयन के जरिए हासिल की गई ऊर्जा एवं मौद्रिक बचत निम्नानुसार है:-

| क्रम सं. | शहर | कुल संस्थापित लाइटें | पारंपरिक लाइटों सहित मासिक ऊर्जा खपत (केडब्ल्यूएच में) | एलईडी सहित मासिक ऊर्जा खपत (केडब्ल्यूएच में) | मासिक ऊर्जा बचत (केडब्ल्यूएच में) | % बचत | प्रति माह वित्तीय बचत (भारतीय रुपए में) |
|----------|------------|----------------------|--|--|-----------------------------------|-------|---|
| 1 | शिमला | 8516 | 358082 | 158199 | 199883 | 56% | 9,89,419 |
| 2 | धर्मशाला | 2910 | 120345 | 52495 | 67850 | 56% | 3,35,859 |
| 3 | मंडी | 2189 | 80003 | 34917 | 45086 | 56% | 2,23,174 |
| 4 | सुंदरनगर | 1821 | 62822 | 27023 | 35799 | 57% | 1,77,205 |
| 5 | पौटा साहिब | 1948 | 114525 | 50654 | 63871 | 56% | 3,16,159 |
| 6 | घुमारविन | 608 | 22645 | 9911 | 12734 | 56% | 63,033 |
| 7 | मनाली | 798 | 40912 | 18876 | 22036 | 54% | 1,09,079 |
| कुल | | 18790 | 799334 | 352075 | 447258 | 56% | 22,13,928 |

(औसत प्रचालन घंटे प्रतिदिन 11 माने गए हैं; मौद्रिक बचत की गणना 4.95 रुपए/केडब्ल्यूएच की यूनिट दर माने गए बचत दृष्टिकोण पर आधारित है)

2. राजस्थान:

(i) झालावाड़ स्ट्रीट लाइट परियोजना - ईईएसएल द्वारा नमूना आधार पर किए गए सर्वे के अनुसार झालावाड़ में स्ट्रीट लाइट नेशनल प्रोग्राम के कार्यान्वयन के जरिए हासिल की गई ऊर्जा बचत निम्नानुसार है:-

| पारंपरिक स्ट्रीट लाइटों की कुल मालसूची | | | |
|--|------------------------------------|--------|-------------|
| क्रम सं. | लैम्प की प्रारंभिक वॉटेज (डब्ल्यू) | मात्रा | कुल किलोवाट |
| 1 | हाई प्रेशर सोडियम वेपर-400 | 36 | 16 |
| 2 | हाई प्रेशर सोडियम वेपर-250 | 120 | 33 |
| 3 | हाई प्रेशर सोडियम वेपर-150 | 140 | 23 |
| 4 | हाई प्रेशर सोडियम वेपर-70 | 157 | 13 |
| 5 | फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट-40 वाट | 1624 | 78 |
| 6 | कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प-20 वाट | 372 | 7 |
| कुल किलोवाट | | | 170 |
| एलईडी स्ट्रीट लाइटों की संस्थापना के बाद कुल मालसूची | | | |
| क्रम सं. | एलईडी लाइट की वॉटेज | मात्रा | कुल किलोवाट |
| 1 | 190 | 36 | 7 |
| 2 | 120 | 120 | 14 |
| 3 | 72 | 140 | 10 |
| 4 | 40 | 157 | 6 |
| 5 | 18 | 1624 | 29 |

| | | | |
|-------------------|----|-----|----|
| 6 | 12 | 372 | 4 |
| कुल किलोवाट (नया) | | | 71 |

| ऊर्जा बचत संभाव्यता के अनुमान | |
|--|--------|
| प्रारंभिक भार (किलोवाट में) | 170 |
| नया भार (किलोवाट में) | 71 |
| संस्थापना के बाद भार में कमी (किलोवाट में) | 99 |
| केडब्ल्यूएच में वार्षिक ऊर्जा बचत | 395863 |
| एमयू में वार्षिक ऊर्जा बचत | 0.396 |
| भार में प्रतिशत कमी | 58% |

(औसत प्रचालन घंटे प्रतिदिन 11 माने गए हैं और प्रचालन दिवस 365 माने गए हैं)

झालावाड़ में एलईडी स्ट्रीट लाइट परियोजना के कार्यान्वयन से स्ट्रीट लाइट लोड 170 किलोवाट से घटकर 71 किलोवाट हो गया है।

(ii) माउंट आबू स्ट्रीट लाइट परियोजना - ईईएसएल द्वारा नमूना आधार पर किए गए सर्वे के अनुसार माउंट आबू में स्ट्रीट लाइट नेशनल प्रोग्राम के कार्यान्वयन के जरिए हासिल की गई ऊर्जा बचत निम्नानुसार है:-

| पारंपरिक स्ट्रीट लाइटों की कुल मालसूची | | | |
|--|------------------------------------|--------|-------------|
| क्रम सं. | लैम्प की प्रारंभिक वॉटेज (डब्ल्यू) | मात्रा | कुल किलोवाट |
| 1 | हाई प्रेशर सोडियम वेपर-400 | 106 | 42.4 |
| 2 | हाई प्रेशर सोडियम वेपर-250 | 43 | 10.8 |
| 3 | हाई प्रेशर सोडियम वेपर-150 | 492 | 73.8 |
| 4 | हाई प्रेशर सोडियम वेपर-70 | 144 | 10.1 |
| 5 | फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट-40 वाट | 508 | 20.3 |
| 6 | कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प-36 वाट | 202 | 7.3 |
| 7 | कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प-72 वाट | 6 | 0.432 |
| 8 | कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प | 3 | 0.045 |
| 9 | कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प-11 वाट | 26 | 0.286 |
| कुल किलोवाट | | | 165.4 |

| एलईडी स्ट्रीट लाइटों की संस्थापना के बाद कुल मालसूची | | | |
|--|---------------------|--------|-------------|
| क्रम सं. | एलईडी लाइट की वॉटेज | मात्रा | कुल किलोवाट |
| 1 | 120 | 76 | 9.12 |
| 2 | 70 | 669 | 46.83 |
| 3 | 15 | 737 | 11.055 |
| कुल किलोवाट (नया) | | | 67 |

| ऊर्जा बचत संभाव्यता के अनुमान | |
|--|--------|
| प्रारंभिक भार (किलोवाट में) | 165.4 |
| नया भार (किलोवाट में) | 67 |
| संस्थापना के बाद भार में कमी (किलोवाट में) | 98.4 |
| केडब्ल्यूएच में वार्षिक ऊर्जा बचत | 394996 |
| एमयू में वार्षिक ऊर्जा बचत | 395 |
| भार में प्रतिशत कमी | 59% |

(औसत प्रचालन घंटे प्रतिदिन 11 माने गए हैं और प्रचालन दिवस 365 माने गए हैं)

माउंट आबू में एलईडी स्ट्रीट लाइट परियोजना के कार्यान्वयन से स्ट्रीट लाइट लोड 165.4 किलोवाट से घटकर 67 किलोवाट हो गया है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2104

जिसका उत्तर 04 जुलाई, 2019 को दिया जाना है ।

एनटीपीसी की बन्द पड़ी इकाइयां

2104. श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देशभर में ऐसे राष्ट्रीय थर्मल पावर कॉरपोरेशन (एनटीपीसी) की कुल इकाइयों की स्थान-वार संख्या कितनी है जो वर्तमान में कार्यरत नहीं हैं;

(ख) क्या उत्तर प्रदेश के औरैया जिले के दिबियापुर में स्थित एनटीपीसी की इकाई में पूरी क्षमता के साथ उत्पादन को सुनिश्चित करने की कोई योजना है जहां विगत दो वर्षों के दौरान शून्य उत्पादन हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री

(श्री आर. के. सिंह)

(क) : एनटीपीसी के सभी विद्युत स्टेशन संपूर्ण देश में उपलब्ध हैं एवं लाभार्थियों की मांग के अनुसार विद्युत का उत्पादन करते हैं।

(ख) और (ग) : उत्तर प्रदेश के औरैया जिले के दिबियापुर में स्थित एनटीपीसी औरैया गैस विद्युत संयंत्र पूर्णतः प्रचालनरत है और लाभार्थियों की मांग के अनुसार विद्युत का उत्पादन कर रहा है। विगत दो वित्तीय वर्षों के दौरान एनटीपीसी औरैया गैस विद्युत संयंत्र द्वारा उत्पादित विद्युत नीचे दी गई है:-

| वर्ष | 2017-18 | 2018-19 |
|---------------------------|---------|---------|
| उत्पादित विद्युत एमयू में | 377 | 545 |

औरैया गैस विद्युत संयंत्र अपनी पूर्ण क्षमता से उत्पादन करने में सक्षम है। तथापि, रिगैसिफाइड लिक्वीफाइड नैचुरल गैस (आरएलएनजी) तथा नेप्था ईंधन का प्रयोग करके उत्पादित विद्युत के लिए लाभार्थियों द्वारा विद्युत की कम मांग के कारण उत्पादन कम था क्योंकि कोयले अथवा नवीकरणीय का प्रयोग करके उत्पादित विद्युत की तुलना में यह स्रोत अधिक महंगा है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2108

जिसका उत्तर 04 जुलाई, 2019 को दिया जाना है।

जल विद्युत परियोजनाएं

2108. डॉ. हिना विजयकुमार गावीतः

डॉ. सुभाष रामराव भामरेः

श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरेः

डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हेः

श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुलेः

श्री कुलदीप राय शर्माः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) निर्मित और निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाओं और उनकी अधिष्ठापित क्षमताओं का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;
- (ख) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान प्रत्येक परियोजना द्वारा उत्पन्न जल विद्युत की प्रमात्रा कितनी है और कार्यरत जल विद्युत परियोजनाओं का वर्ष/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;
- (ग) अधिष्ठापित क्षमता के कम उपयोग के क्या कारण हैं और उनकी अधिष्ठापित क्षमता के अनुसार विद्युत उत्पादन के लिए जल विद्युत परियोजनाओं की दक्षता में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं;
- (घ) क्या सरकार ने देश में रुकी हुई जल विद्युत परियोजनाओं की पहचान की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, इन परियोजनाओं के लागत से अधिक कितना व्यय हुआ है;
- (ङ) क्या सरकार का देश भर में नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि करने के लिए रुकी हुई जल विद्युत परियोजनाओं का पुनरुद्धार करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (च) देश में जल विद्युत परियोजनाओं को एक निश्चित समयावधि में पूरा करने हेतु सरकार द्वारा क्या अन्य कदम उठाये गए हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री

(श्री आर. के. सिंह)

(क) और (ख): दिनांक 31.05.2019 की स्थिति के अनुसार सम्पूर्ण देश में कुल 45399.22 मेगावाट संस्थापित क्षमता की कुल 204 जल विद्युत परियोजनाएं (25 मेगावाट से अधिक) प्रचालनरत थीं। प्रत्येक जल विद्युत परियोजना द्वारा विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान उत्पादित विद्युत सहित इस प्रकार की परियोजनाओं का राज्य/संघराज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा अनुबंध-I में दिया गया है।

वर्तमान में कुल 12034.50 मेगावाट की 36 जल विद्युत परियोजनाएं (25 मेगावाट से अधिक) सम्पूर्ण देश में निर्माणाधीन हैं। इनका राज्य/संघराज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा अनुबंध-II में दिया गया है।

(ग) : कुछ जल विद्युत परियोजनाओं को छोड़कर देश में अधिकांश जल विद्युत परियोजनाएं उनकी संस्थापित क्षमता के अनुसार विद्युत का उत्पादन कर रही हैं। तथापि कुछ जल विद्युत परियोजनाएं अन्य कारणों जैसे अपस्ट्रीम वाटर कंडक्टर सिस्टम अनुमोदित लेआउट डिजायन के अनुसार अपनी पूर्ण क्षमता के लिए तैयार नहीं हैं और कुछ परियोजनाओं में नवीकरण और आधुनिकीकरण कार्यों के कार्यान्वयन को छोड़कर कम अन्तः प्रवाह के कारण अपनी पूर्ण क्षमता पर प्रचालन नहीं कर रही हैं।

(घ) : निर्माणाधीन 36 जल विद्युत परियोजनाओं में से कुल 4706 मेगावाट की 13 जल विद्युत परियोजनाएं रुकी हुई हैं। इन परियोजनाओं की लागत बढ़ने सहित इनका ब्यौरा अनुबंध-III में दिया गया है।

(ङ) और (च) : जल विद्युत क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने निम्नलिखित उपाय अनुमोदित किए हैं:-

1. बड़ी जल विद्युत (एलएचपी) (725 मेगावाट परियोजनाएं) को नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत घोषित करना।
2. जल विद्युत क्रय दायित्व (एच पी ओ) को गैर-सौर नवीकरणीय क्रय दायित्व (आर पी ओ) के भीतर एक पृथक निकाय।
3. जल विद्युत टैरिफ को कम करने के लिए टैरिफ यौक्तिकीकरण उपाय।
4. बाढ़ नियन्त्रण/स्टोरेज जल विद्युत परियोजनाओं (एच ई पी) के लिए बजटीय सहायता।
5. सक्षमीकरण ढांचे अर्थात् सड़कों/पुलों आदि की लागत के लिए बजटीय सहायता।

उपरोक्त उपाय बंद पड़ी जल विद्युत परियोजनाओं के पुनरुद्धार में सहायता करेंगे।

देश में जल विद्युत परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे अन्य कदम निम्नानुसार हैं:-

- केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाओं (25 मेगावाट से अधिक) का नियमित रूप से निगरानी करता है। प्रत्येक परियोजना की प्रगति की स्थल दौरों और विकासकर्ताओं एवं अन्य पणधारकों के साथ विचार-विमर्श के सतत् रूप से निगरानी की जाती है। सदस्य (हाइड्रो), सीईए विकासकर्ताओं और अन्य पणधारकों के साथ नियमित रूप से समीक्षा बैठकें करते हैं।
- विद्युत मंत्रालय सीईए के संबंधित अधिकारियों, राज्य यूटिलिटीयों/सीपीएसयू/परियोजना विकासकर्ताओं आदि के साथ जारी जल विद्युत परियोजनाओं की प्रगति की नियमित रूप से समीक्षा करता है।
- प्रधान मंत्री कार्यालय (पीएमओ) में गठित परियोजना निगरानी समूह (पीएमजी) मुद्दों/विकासकर्ताओं द्वारा सामना की जा रही कठिनाइयों को केन्द्रीय/राज्य सरकार प्राधिकारियों के साथ उठाकर उनका समाधान करता है।
- जब भी आवश्यक होता है, सकारात्मक अभिशासन और समय पर कार्यान्वयन के लिए मुद्दे प्रगति में भी उठाए जाते हैं।
- केन्द्रीय विद्युत क्षेत्र उपक्रमों (सीपीएसयू) परियोजनाओं के मामले में संबंधित सीपीएसयू और विद्युत मंत्रालय के बीच हस्ताक्षरित वार्षिक समझौता ज्ञापन में परियोजना कार्यान्वयन प्राचल/लक्ष्य शामिल किए जाते हैं और सीपीएसयू की तिमाही निष्पादन समीक्षा बैठकों के दौरान तथा विद्युत मंत्रालय/सीईए में आयोजित अन्य बैठकों में उनकी निगरानी की जाती है। इलैक्ट्रो-मैकेनिकल उपस्कर के उत्पादन और आपूर्ति से संबंधित मुद्दों के संबंध में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण/विद्युत मंत्रालय में आयोजित विभिन्न बैठकों में भेल के साथ शीघ्रता की जाती है और कार्यों की प्रगति को प्रभावित करने वाले अन्य स्थानीय मुद्दे संबंधित सीपीएसयू/विद्युत मंत्रालय द्वारा संबंधित राज्य सरकारों के साथ उठाए जाते हैं।

लोक सभा में दिनांक 04.07.2019 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 2108 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश में एच.ई. स्टेशनों का राज्य-वार वास्तविक उत्पादन (संस्थापित क्षमता 25 मेगावाट से अधिक)

| क्षेत्र/यूटिलिटी/स्टेशन | 30.05.2019 की स्थिति के अनुसार संस्थापित क्षमता (मेगावाट) | उत्पादन (एमयू) | | | |
|---------------------------------------|---|----------------|----------------|----------------|-------------------------|
| | | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 (30.05.2019 तक) |
| हिमाचल प्रदेश | | | | | |
| बीबीएमबी | | | | | |
| भाखड़ा एलएंडआर | 1379.00 | 5168.27 | 5134.02 | 4238.19 | 885.82 |
| देहार | 990.00 | 3184.68 | 3086.24 | 3226.30 | 804.69 |
| पोंग | 396.00 | 1369.93 | 1641.57 | 1512.56 | 146.56 |
| कुल बीबीएमबी-एचपी | 2765.00 | 9722.88 | 9861.83 | 8977.05 | 1837.07 |
| एनएचपीसी | | | | | |
| बैरा सियुल | 180.00 | 669.33 | 641.73 | 366.67 | 0.00 |
| चमेरा-I | 540.00 | 2224.39 | 2344.08 | 2484.56 | 635.63 |
| चमेरा-II | 300.00 | 1443.93 | 1487.11 | 1508.02 | 383.65 |
| चमेरा-III | 231.00 | 917.09 | 1068.05 | 1043.42 | 258.48 |
| पारबती-III | 520.00 | 682.48 | 710.53 | 608.30 | 89.01 |
| पारबती II* | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| कुल एनएचपीसी-एचपी | 1771.00 | 5937.22 | 6251.50 | 6010.97 | 1366.77 |
| एसजेवीएन | | | | | |
| नापथा झाकड़ी | 1500.00 | 7050.64 | 7207.73 | 6507.15 | 1316.24 |
| रामपुर | 412.02 | 1960.42 | 2015.00 | 1828.77 | 374.22 |
| कुल एसजेवीएन - एचपी | 1912.02 | 9011.06 | 9222.73 | 8335.92 | 1690.46 |
| एनटीपीसी | | | | | |
| कोलडैम | 800.00 | 3225.16 | 3313.62 | 3013.93 | 507.09 |
| कुल एनटीपीसी - एचपी | 800.00 | 3225.16 | 3313.62 | 3013.93 | 507.09 |
| एचपीपीसीएल | | | | | |
| कशांग-I | 65.00 | 56.09 | 197.13 | 118.24 | 31.52 |
| कशांग-II व III | 130.00 | | | | |
| सैंज | 100.00 | 0.00 | 134.99 | 408.81 | 0.00 |
| कुल एचपीपीसीएल | 295.00 | 56.09 | 332.12 | 527.05 | 31.52 |
| एचपीएसईबी लि. | | | | | |
| बस्सी | 66.00 | 297.76 | 315.17 | 251.56 | 78.74 |
| गिरी बाटा | 60.00 | 140.60 | 169.94 | 214.45 | 17.61 |
| लारजी | 126.00 | 611.66 | 612.36 | 593.86 | 147.34 |
| संजय | 120.00 | 187.40 | 493.39 | 589.42 | 105.36 |
| कुल एचपीएसईबी लि. | 372.00 | 1237.42 | 1590.86 | 1649.29 | 349.05 |
| पीएसपीसीएल | | | | | |
| शानन | 110.00 | 472.88 | 508.52 | 472.39 | 142.10 |
| कुल पीएसपीसीएल-एचपी | 110.00 | 472.88 | 508.52 | 472.39 | 142.10 |
| अलियन दुहांगन पावर लि. | | | | | |
| अलियन दुहांगन | 192.00 | 679.12 | 683.01 | 582.23 | 109.87 |
| एवरेस्ट पावर प्राइवेट लि. | | | | | |
| मलाना-II | 100.00 | 366.54 | 368.89 | 349.39 | 62.07 |
| एचबीपीसीएल | | | | | |
| बासपा-II | 300.00 | 1342.75 | 1336.65 | 1275.58 | 186.46 |
| करचम वांगटू | 1000.00 | 4372.29 | 4569.93 | 3968.69 | 716.06 |
| कुल एचबीपीसीएल | 1300.00 | 5715.04 | 5906.58 | 5244.27 | 902.52 |
| जीबीएचपीपीएल | | | | | |
| बुधहिल | 70.00 | 261.25 | 317.63 | 288.08 | 58.19 |
| आईए एनर्जी प्रा. लि. (आईईपीएल) | | | | | |

| | | | | | |
|--|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| चंजू-1 | 36.00 | 11.29 | 79.42 | 137.45 | 43.00 |
| मलाना पावर कंपनी लि. (एमपीसीएल) | | | | | |
| मलाना | 86.00 | 353.79 | 346.29 | 320.55 | 62.51 |
| कुल एचपी | 9809.02 | 37049.74 | 38783.00 | 35908.56 | 7162.22 |
| जम्मू व कश्मीर | | | | | |
| एनएचपीसी | | | | | |
| चूक | 44.00 | 44.12 | 45.72 | 48.96 | 8.99 |
| दुलहस्ती | 390.00 | 2280.02 | 2343.86 | 2273.38 | 412.89 |
| निम्मो बाजगो | 45.00 | 95.21 | 98.83 | 105.55 | 17.26 |
| सलाल-I | 345.00 | 3423.09 | 3247.09 | 3412.55 | 902.61 |
| सलाल-II | 345.00 | | | | |
| सेवा-II | 120.00 | 470.61 | 506.39 | 498.32 | 181.12 |
| उरी-I | 480.00 | 2803.10 | 2349.66 | 3048.29 | 706.52 |
| उरी-II | 240.00 | 1471.94 | 1207.44 | 1580.92 | 336.54 |
| किशनगंगा | 330.00 | 0.00 | 1.68 | 529.25 | 221.63 |
| कुल एनएचपीसी-जेएंडके | 2339.00 | 10588.09 | 9800.67 | 11497.22 | 2787.56 |
| जेकेएसपीडीसी | | | | | |
| बगलीहार | 450.00 | 2184.56 | 2506.71 | 2291.15 | 429.75 |
| बगलीहार-II | 450.00 | 1758.98 | 1821.95 | 1857.91 | 490.28 |
| लोअर झेलम | 105.00 | 483.15 | 480.99 | 589.33 | 110.69 |
| अपर सिंध-II | 105.00 | 362.91 | 327.24 | 305.97 | 42.70 |
| कुल जेकेएसपीडीसी | 1110.00 | 4789.60 | 5136.89 | 5044.36 | 1073.42 |
| कुल जम्मू व कश्मीर | 3449.00 | 15377.69 | 14937.56 | 16541.58 | 3860.98 |
| पंजाब | | | | | |
| बीबीएमबी | | | | | |
| गंगुवाल | 77.65 | 416.54 | 494.09 | 599.37 | 96.37 |
| कोटला | 77.65 | 430.58 | 508.22 | 609.60 | 97.48 |
| कुल बीबीएमबी-पंजाब | 155.30 | 847.12 | 1002.31 | 1208.97 | 193.85 |
| पीएसपीसीएल | | | | | |
| ए.पी. साहिब-I व II | 134.00 | 673.87 | 647.81 | 427.78 | 111.11 |
| मुकेरियां-I-IV | 207.00 | 1083.51 | 1270.76 | 1244.13 | 104.06 |
| रंजीत सागर | 600.00 | 1306.08 | 1803.42 | 1454.52 | 453.16 |
| कुल पीएसपीसीएल | 941.00 | 3063.46 | 3721.99 | 3126.43 | 668.33 |
| कुल पंजाब | 1096.30 | 3910.58 | 4724.30 | 4335.40 | 862.18 |
| राजस्थान | | | | | |
| आरआरवीयूएनएल | | | | | |
| जवाहर सागर | 99.00 | 307.55 | 261.10 | 247.00 | 2.08 |
| माही बजाज-I व II | 140.00 | 209.66 | 180.17 | 117.08 | 4.63 |
| आर.पी. सागर | 172.00 | 448.78 | 378.26 | 334.32 | 0.02 |
| कुल आरआरवीयूएनएल | 411.00 | 965.99 | 819.53 | 698.40 | 6.73 |
| कुल राजस्थान | 411.00 | 965.99 | 819.53 | 698.40 | 6.73 |
| उत्तर प्रदेश | | | | | |
| यूपीजेवीएनएल | | | | | |
| खारा | 72.00 | 268.93 | 259.14 | 286.14 | 65.89 |
| माताटीला | 30.60 | 122.68 | 93.81 | 97.48 | 9.37 |
| ओबरा | 99.00 | 216.71 | 299.96 | 231.03 | 9.00 |
| रिहंद | 300.00 | 567.24 | 833.78 | 561.71 | 25.22 |
| कुल यूपीजेवीएनएल | 501.60 | 1175.56 | 1486.69 | 1176.36 | 109.48 |
| कुल उत्तर प्रदेश | 501.60 | 1175.56 | 1486.69 | 1176.36 | 109.48 |
| उत्तराखंड | | | | | |
| एनएचपीसी | | | | | |
| धौलीगंगा | 280.00 | 956.13 | 1153.16 | 1106.21 | 237.22 |
| टनकपुर | 94.20 | 430.29 | 459.74 | 452.89 | 85.36 |
| कुल एनएचपीसी-यूके | 374.20 | 1386.42 | 1612.90 | 1559.10 | 322.58 |
| टीएचडीसी लि. | | | | | |
| टिहरी | 1000.00 | 3146.32 | 3080.94 | 3172.08 | 471.90 |
| कोटेश्वर | 400.00 | 1224.55 | 1220.33 | 1223.84 | 223.52 |
| कुल टीएचडीसी लि. | 1400.00 | 4370.87 | 4301.27 | 4395.92 | 695.42 |
| यूजेवीएनएल | | | | | |
| चिब्रो (वाई.स्टे.-II) | 240.00 | 714.00 | 783.57 | 809.53 | 174.94 |
| चिल्ला | 144.00 | 769.35 | 811.66 | 632.41 | 129.78 |
| धकरनी (वाई.स्टे.-I) | 33.75 | 120.19 | 129.68 | 147.48 | 31.37 |

| | | | | | |
|---|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| धालीपुर ((वाई.स्टे.-I) | 51.00 | 180.40 | 186.71 | 219.99 | 44.12 |
| खटीमा | 41.40 | 180.14 | 212.60 | 232.25 | 36.27 |
| खोदरी (वाई.स्टे.-II) | 120.00 | 333.29 | 355.75 | 369.68 | 80.06 |
| कुलहल (वाई.स्टे.-IV) | 30.00 | 122.20 | 123.97 | 146.55 | 28.12 |
| मनेरी भाली-I | 90.00 | 349.22 | 394.77 | 430.40 | 91.25 |
| मनेरी भाली-II | 304.00 | 1251.71 | 1276.65 | 1302.34 | 257.22 |
| राम गंगा | 198.00 | 180.94 | 250.64 | 188.14 | 5.23 |
| कुल यूजेवीएनएल | 1252.15 | 4201.44 | 4526.00 | 4478.77 | 878.36 |
| एएचपीसी लि. | | | | | |
| श्रीनगर | 330.00 | 1280.75 | 1382.54 | 1375.31 | 220.54 |
| जयप्रकाश पावर वेंचर लि. | | | | | |
| विष्णु प्रयाग | 400.00 | 2042.05 | 2160.90 | 1932.02 | 315.28 |
| कुल उत्तराखंड | 3756.35 | 13281.53 | 13983.61 | 13741.12 | 2432.18 |
| छत्तीसगढ़ | | | | | |
| सीएसपीजीसी | | | | | |
| हसदियोबांगो | 120.00 | 153.76 | 178.07 | 243.08 | 40.85 |
| कुल सीएसपीजीसी | 120.00 | 153.76 | 178.07 | 243.08 | 40.85 |
| कुल छत्तीसगढ़ | 120.00 | 153.76 | 178.07 | 243.08 | 40.85 |
| गुजरात | | | | | |
| जीएसईसीएल | | | | | |
| कदाना पीएसएस | 240.00 | 339.01 | 308.92 | 237.39 | 11.70 |
| उकई | 300.00 | 395.66 | 303.53 | 210.58 | 46.02 |
| कुल जीएसईसीएल | 540.00 | 734.67 | 612.45 | 447.97 | 57.72 |
| एसएसएनएनएल | | | | | |
| सरदार सरोवर सीएचपीएच | 250.00 | 876.34 | 562.86 | 594.84 | 49.61 |
| सरदार सरोवर आरबीपीएच | 1200.00 | 2332.87 | 376.61 | 0.00 | 0.00 |
| कुल एसएसएनएनएल | 1450.00 | 3209.21 | 939.47 | 594.84 | 49.61 |
| कुल गुजरात | 1990.00 | 3943.88 | 1551.92 | 1042.81 | 107.33 |
| मध्य प्रदेश | | | | | |
| एनएचडीसी | | | | | |
| इंदिरा सागर | 1000.00 | 3320.79 | 881.76 | 1308.79 | 181.04 |
| ओंकारेश्वर | 520.00 | 1427.70 | 443.6 | 612.04 | 116.42 |
| कुल एनएचडीसी-एमपी | 1520.00 | 4748.49 | 1325.36 | 1920.83 | 297.46 |
| एमपीजीसीएल | | | | | |
| बनसागर टोन्स-I | 315.00 | 1239.02 | 545.37 | 578.35 | 194.15 |
| बनसागर टोन्स-II | 30.00 | 109.73 | 56.12 | 37.09 | 16.90 |
| बनसागर टोन्स-III | 60.00 | 53.48 | 68.80 | 85.32 | 3.49 |
| बारगी | 90.00 | 445.47 | 159.05 | 356.19 | 21.23 |
| गांधी सागर | 115.00 | 351.00 | 351.38 | 249.88 | 0.66 |
| मधीखेरा | 60.00 | 147.21 | 22.52 | 88.99 | 0.02 |
| राजघाट | 45.00 | 62.26 | 58.21 | 80.02 | 0.00 |
| कुल एमपीजीसीएल | 715.00 | 2408.17 | 1261.45 | 1475.84 | 236.45 |
| कुल एम.पी. | 2235.00 | 7156.66 | 2586.81 | 3396.67 | 533.91 |
| महाराष्ट्र | | | | | |
| महाजेंको | | | | | |
| भीरा टेल रेस | 80.00 | 101.58 | 97.15 | 94.57 | 12.80 |
| घाटघर पीएसएस | 250.00 | 383.87 | 152.83 | 192.98 | 24.70 |
| कोयना डीपीएच | 36.00 | 156.02 | 135.15 | 196.18 | 44.17 |
| कोयना स्टे.-I व II | 600.00 | 1290.21 | 1051.22 | 1024.61 | 357.59 |
| कोयना स्टे.-III | 320.00 | 614.14 | 498.91 | 480.65 | 244.91 |
| कोयना-IV | 1000.00 | 1245.48 | 945.47 | 1066.51 | 754.68 |
| तिल्लारी | 60.00 | 106.16 | 57.81 | 110.96 | 18.14 |
| वैतर्णा | 60.00 | 153.52 | 204.62 | 154.17 | 55.09 |
| कुल महाजेंको | 2406.00 | 4050.98 | 3143.16 | 3320.63 | 1512.08 |
| एमपीजीसीएल | | | | | |
| पेंच | 160.00 | 360.14 | 159.53 | 131.61 | 10.85 |
| कुल एमपीजीसीएल-महा. | 160.00 | 360.14 | 159.53 | 131.61 | 10.85 |
| डोडसन-लिंग्लोम हाइड्रो पावर प्रा. लि. (डीएलएचपीपीएल) | | | | | |
| भंडारधारा-II | 34.00 | 47.12 | 42.55 | 56.44 | 3.39 |
| कुल डीएलएचपी | 34.00 | 47.12 | 42.55 | 56.44 | 3.39 |
| टाटा पावर कंपनी लि. | | | | | |
| भीरा | 150.00 | 951.63 | 341.17 | 351.02 | 45.29 |

| | | | | | |
|------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| भीरा पीएसएस | 150.00 | | 551.13 | 558.77 | 81.59 |
| भिवपुरी | 75.00 | 206.59 | 307.20 | 315.90 | 74.04 |
| खोपोली | 72.00 | 307.24 | 316.38 | 342.49 | 50.63 |
| कुल टीपीसीएल | 447.00 | 1465.46 | 1515.88 | 1568.18 | 251.55 |
| कुल महाराष्ट्र | 3047.00 | 5923.70 | 4861.12 | 5076.86 | 1777.87 |
| आंध्र प्रदेश | | | | | |
| एपजैको | | | | | |
| एन.जे. सागर टीपीडी | 50.00 | 7.35 | 42.13 | 49.92 | 1.50 |
| एन.जे. सागर आरबीसी | 90.00 | 4.15 | 59.73 | 101.55 | 0.00 |
| श्रीशैलम आरबी | 770.00 | 640.61 | 574.95 | 551.07 | 28.28 |
| अपर सिलेरू-1 व II | 240.00 | 340.41 | 482.22 | 476.34 | 113.51 |
| लोअर सिलेरू | 460.00 | 831.90 | 1109.77 | 1094.06 | 174.06 |
| कुल एपजैको | 1610.00 | 1824.42 | 2268.80 | 2272.94 | 317.35 |
| कुल आंध्र प्रदेश | 1610.00 | 1824.42 | 2268.80 | 2272.94 | 317.35 |
| कर्नाटक | | | | | |
| केपीसीएल | | | | | |
| अमत्ती डैम | 290.00 | 404.05 | 441.58 | 408.42 | 4.64 |
| भद्रा | 26.00 | 27.06 | 15.69 | 55.21 | 1.68 |
| गेरुसोप्पा | 240.00 | 276.60 | 280.89 | 525.67 | 85.50 |
| घाटप्रभा | 32.00 | 48.74 | 48.37 | 80.67 | 8.16 |
| जोग | 139.20 | 288.25 | 191.48 | 194.44 | 41.97 |
| कद्रा | 150.00 | 176.42 | 192.91 | 375.85 | 39.82 |
| काली नदी | 855.00 | 1344.82 | 1537.28 | 2777.85 | 554.01 |
| सूपा डीपीएच | 100.00 | 239.20 | 290.98 | 596.16 | 107.68 |
| कोडासली | 120.00 | 154.16 | 170.94 | 345.56 | 51.09 |
| लिंगनामक्की | 55.00 | 105.64 | 125.55 | 252.53 | 35.71 |
| मुनीराबाद | 28.00 | 31.49 | 51.38 | 89.42 | 0.00 |
| श्रीवथी | 1035.00 | 2708.77 | 2722.35 | 4786.18 | 912.69 |
| शिवासमुद्रम | 42.00 | 145.14 | 176.81 | 284.19 | 20.13 |
| वराही | 460.00 | 740.75 | 762.44 | 1243.79 | 200.45 |
| कुल केपीसीएल | 3572.20 | 6691.09 | 7008.65 | 12015.94 | 2063.53 |
| एपजैको | | | | | |
| टी. बी. डैम हम्पी | 72.00 | 81.26 | 133.97 | 171.75 | 2.10 |
| कुल एपजैको-कर्नाटक | 72.00 | 81.26 | 133.97 | 171.75 | 2.10 |
| कुल कर्नाटक | 3644.20 | 6772.35 | 7142.62 | 12187.69 | 2065.63 |
| केरल | | | | | |
| केएसईबी लि. | | | | | |
| इदमलायर | 75.00 | 171.72 | 256.26 | 345.50 | 59.33 |
| इदुक्की | 780.00 | 1380.06 | 1611.06 | 2920.43 | 635.15 |
| कक्कड | 50.00 | 131.68 | 159.88 | 221.66 | 39.12 |
| कुट्टियाडी व कुट्टियाडी एडि. | 225.00 | 478.72 | 601.06 | 693.38 | 87.63 |
| लोअर पेरियार | 180.00 | 307.23 | 507.74 | 525.18 | 35.85 |
| नेरियामंगलम | 45.00 | 197.30 | 310.60 | 377.85 | 35.71 |
| पल्लीवसल | 37.50 | 166.05 | 188.39 | 185.25 | 23.61 |
| पन्नियर | 30.00 | 62.33 | 129.47 | 114.59 | 21.25 |
| पोरिंगलकुथु | 32.00 | 91.10 | 116.74 | 94.60 | 3.93 |
| साबरीगिरी | 300.00 | 798.79 | 968.46 | 1516.40 | 281.45 |
| संगुलम | 48.00 | 115.66 | 144.91 | 122.98 | 24.96 |
| शोलायर | 54.00 | 166.85 | 204.69 | 202.39 | 53.36 |
| कुल केएसईबी लि. | 1856.50 | 4067.49 | 5199.26 | 7320.21 | 1301.35 |
| कुल केरल | 1856.50 | 4067.49 | 5199.26 | 7320.21 | 1301.35 |
| तमिलनाडु | | | | | |
| टांजैडको | | | | | |
| अलियर | 60.00 | 61.73 | 90.08 | 48.57 | 5.33 |
| भवानी कट्टालई बैराज-III | 30.00 | 17.47 | 0.00 | 34.06 | 0.00 |
| भवानी कट्टालई बैराज-II | 30.00 | 19.83 | 37.62 | 77.16 | 2.63 |
| भवानी कट्टालई बैराज-I | 30.00 | 20.59 | 16.96 | 70.20 | 1.33 |
| कदमपराई पीएसएस | 400.00 | 289.39 | 384.36 | 434.75 | 0.79 |
| कोडायर-I व II | 100.00 | 169.43 | 123.98 | 194.08 | 11.46 |
| कुंडहा I-V | 555.00 | 815.61 | 806.23 | 1608.99 | 213.72 |
| लोअर मेडूर-I-IV | 120.00 | 92.27 | 131.95 | 220.32 | 11.83 |
| मेडूर डैम | 50.00 | 125.48 | 52.24 | 147.96 | 10.87 |

| | | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| मेडूर टनल | 200.00 | | 163.32 | 440.59 | 5.91 |
| मोयर | 36.00 | 61.52 | 94.40 | 161.99 | 13.93 |
| पापनसम | 32.00 | 66.54 | 115.28 | 120.91 | 1.55 |
| पर्सन्स वैली | 30.00 | 23.95 | 27.11 | 45.94 | 0.00 |
| पेरियार | 161.00 | 93.91 | 287.10 | 703.00 | 0.00 |
| पाईकारा | 59.20 | 12.74 | 0.98 | 22.05 | 0.04 |
| पाईकारा अल्टीमेट | 150.00 | 192.55 | 274.11 | 507.96 | 40.21 |
| सरकारपथी | 30.00 | 63.29 | 85.46 | 129.65 | 26.60 |
| शोलायार-I | 70.00 | 228.11 | 157.73 | 220.86 | 0.00 |
| सुरुलियर | 35.00 | 42.71 | 70.69 | 92.55 | 7.92 |
| कुल टांजैडको | 2178.20 | 2397.12 | 2919.60 | 5281.59 | 354.12 |
| कुल तमिलनाडु | 2178.20 | 2397.12 | 2919.60 | 5281.59 | 354.12 |
| तेलंगाना | | | | | |
| टीएसजैको | | | | | |
| लोअर जुराला | 240.00 | 176.34 | 205.90 | 153.31 | 0.00 |
| एन.जे. सागर पीएसएस | 815.60 | 186.15 | 184.49 | 338.82 | 17.70 |
| एन.जे. सागर एलबीसी | 60.00 | 0.00 | 12.80 | 53.30 | 0.00 |
| पोचमपड | 36.00 | 75.29 | 35.69 | 31.70 | 0.40 |
| प्रियदशिनी जुराला | 234.00 | 211.99 | 217.40 | 165.00 | 0.00 |
| पुलीचिंताला | 120.00 | 13.00 | 6.60 | 17.30 | 0.00 |
| श्रीशैलम एलबी | 900.00 | 617.22 | 829.10 | 985.18 | 20.73 |
| कुल टीएसजैको | 2405.60 | 1279.99 | 1491.98 | 1744.61 | 38.83 |
| कुल तेलंगाना | 2405.60 | 1279.99 | 1491.98 | 1744.61 | 38.83 |
| झारखंड | | | | | |
| डीवीसी | | | | | |
| पंचेट | 80.00 | 133.51 | 141.94 | 79.79 | 4.80 |
| कुल डीवीसी-झारखंड | 80.00 | 133.51 | 141.94 | 79.79 | 4.80 |
| जेयूएनएल | | | | | |
| सुवर्णरेखा-I व II | 130.00 | 30.13 | 190.38 | 101.19 | 0.66 |
| कुल जेयूएनएल | 130.00 | 30.13 | 190.38 | 101.19 | 0.66 |
| कुल झारखंड | 210.00 | 163.64 | 332.32 | 180.98 | 5.46 |
| ओडिशा | | | | | |
| ओएचपीसी | | | | | |
| बालीमेला | 510.00 | 1001.38 | 1477.19 | 1732.21 | 303.88 |
| हीराकुड-I व II | 347.50 | 716.97 | 863.05 | 548.58 | 96.05 |
| रेंगाली | 250.00 | 553.56 | 762.61 | 837.89 | 55.54 |
| अपर इंद्रावती | 600.00 | 1521.64 | 1745.57 | 2141.84 | 403.50 |
| अपर कोलाब | 320.00 | 619.34 | 706.87 | 923.25 | 139.11 |
| कुल ओएचपीसी | 2027.50 | 4412.89 | 5555.29 | 6183.77 | 998.08 |
| एपजैको | | | | | |
| मचकुड | 114.75 | 700.31 | 467.70 | 593.68 | 113.54 |
| कुल एपजैको-ओडिशा | 114.75 | 700.31 | 467.70 | 593.68 | 113.54 |
| कुल ओडिशा | 2142.25 | 5113.20 | 6022.99 | 6777.45 | 1111.62 |
| सिक्किम | | | | | |
| एनएचपीसी | | | | | |
| रंगित | 60.00 | 347.14 | 345.91 | 349.09 | 52.03 |
| तीस्ता-V | 510.00 | 2773.46 | 2818.78 | 2701.46 | 580.35 |
| कुल एनएचपीसी-सिक्किम | 570.00 | 3120.60 | 3164.69 | 3050.55 | 632.38 |
| तीस्ता ऊर्जा लि. (टीयूएल) | | | | | |
| तीस्ता-III | 1200.00 | 309.42 | 4429.33 | 4258.40 | 1116.67 |
| कुल टीयूएल | 1200.00 | 309.42 | 4429.33 | 4258.40 | 1116.67 |
| डैस एनर्जी प्रा. लि. (डीईपीएल) | | | | | |
| जोरथांग लूप | 96.00 | 405.63 | 406.01 | 409.75 | 37.69 |
| शीघा एनर्जी प्रा. लि. (एसईपीएल) | | | | | |
| ताशिडिंग | 97.00 | 0.00 | 73.07 | 423.73 | 40.62 |
| गाटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. (जीआईपीएल) | | | | | |
| चूजाचैन एचईपी | 110.00 | 494.75 | 444.79 | 417.40 | 69.44 |
| स्नेहा काइनेटिक | | | | | |
| दिक्चू | 96.00 | | 370.10 | 462.24 | 81.31 |
| कुल सिक्किम | 2169.00 | 4330.40 | 8887.99 | 9022.07 | 1978.11 |
| पश्चिम बंगाल | | | | | |
| एनएचपीसी | | | | | |

| | | | | | |
|-------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| तीस्ता लो डैम-III | 132.00 | 553.87 | 386.87 | 572.06 | 93.79 |
| तीस्ता लो डैम-IV | 160.00 | 602.53 | 495.15 | 708.45 | 114.93 |
| कुल एनएचपीसी-डब्ल्यूबी | 292.00 | 1156.40 | 882.02 | 1280.51 | 208.72 |
| डीवीसी | | | | | |
| मैथॉल | 63.20 | 122.03 | 114.41 | 101.36 | 1.28 |
| कुल डीवीसी-डब्ल्यूबी | 63.20 | 122.03 | 114.41 | 101.36 | 1.28 |
| डब्ल्यूबीएसईडीसीएल | | | | | |
| जलढाका-I | 36.00 | 205.46 | 145.18 | 197.04 | 34.96 |
| पुरुलिया पीएसएस | 900.00 | 1106.97 | 1014.37 | 1103.97 | 161.24 |
| रम्माम-II | 50.00 | 248.42 | 122.47 | 236.93 | 23.36 |
| कुल डब्ल्यूबीएसईडीसीएल | 986.00 | 1560.85 | 1282.02 | 1537.94 | 219.56 |
| कुल पश्चिम बंगाल | 1341.20 | 2839.28 | 2278.45 | 2919.81 | 429.56 |
| अरुणाचल प्रदेश | | | | | |
| नीपको | | | | | |
| रंगानदी | 405.00 | 1249.01 | 1416.74 | 1051.85 | 172.88 |
| पारे | 110.00 | | 0.00 | 347.16 | 62.90 |
| कुल नीपको-अरुणाचल | 515.00 | 1249.01 | 1416.74 | 1399.01 | 235.78 |
| कुल अरुणाचल | 515.00 | 1249.01 | 1416.74 | 1399.01 | 235.78 |
| असम | | | | | |
| नीपको | | | | | |
| कोपिली | 200.00 | 1088.27 | 1172.83 | 1117.82 | 148.95 |
| खांडोंग | 50.00 | 197.10 | 260.77 | 203.82 | 35.46 |
| कुल नीपको-असम | 250.00 | 1285.37 | 1433.60 | 1321.64 | 184.41 |
| एपीजीसीएल | | | | | |
| कारबी लांगपी | 100.00 | 396.59 | 484.98 | 372.72 | 40.34 |
| कुल एपीजीसीएल | 100.00 | 396.59 | 484.98 | 372.72 | 40.34 |
| कुल असम | 350.00 | 1681.96 | 1918.58 | 1694.36 | 224.75 |
| नागालैंड | | | | | |
| नीपको | | | | | |
| दोयांग | 75.00 | 258.94 | 274.39 | 231.47 | 5.54 |
| कुल नीपको-नागालैंड | 75.00 | 258.94 | 274.39 | 231.47 | 5.54 |
| कुल नागालैंड | 75.00 | 258.94 | 274.39 | 231.47 | 5.54 |
| मणिपुर | | | | | |
| एनएचपीसी | | | | | |
| लोकटक (मणिपुर) | 105.00 | 741.07 | 837.74 | 602.61 | 70.89 |
| कुल एनएचपीसी-मणिपुर | 105.00 | 741.07 | 837.74 | 602.61 | 70.89 |
| कुल मणिपुर | 105.00 | 741.07 | 837.74 | 602.61 | 70.89 |
| मेघालय | | | | | |
| एमईपीजीसीएल | | | | | |
| किरदमकुलई | 60.00 | 65.29 | 132.18 | 134.84 | 15.16 |
| मिटडू | 126.00 | 391.65 | 502.47 | 362.95 | 54.40 |
| न्यू उमतरू | 40.00 | | 159.52 | 180.03 | 14.68 |
| उमियम स्टे.-I | 36.00 | 96.65 | 128.65 | 85.11 | 10.61 |
| उमियम स्टे.-IV | 60.00 | 166.01 | 217.44 | 166.60 | 16.34 |
| कुल एमईपीजीसीएल | 322.00 | 719.60 | 1140.26 | 929.53 | 111.19 |
| कुल मेघालय | 322.00 | 719.60 | 1140.26 | 929.53 | 111.19 |
| मिजोरम | | | | | |
| तुरियल | 60.00 | | 78.37 | 168.44 | 7.89 |
| कुल नीपको-मिजोरम | 60.00 | | 78.37 | 168.44 | 7.89 |
| कुल मिजोरम | 60.00 | | 78.37 | 168.44 | 7.89 |
| कुल अखिल भारत | 45399.22 | 122377.56 | 126122.70 | 134893.61 | 25151.80 |

लोक सभा में दिनांक 04.07.2019 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2108 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

देश में निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाओं की राज्य-वार सूची (25 मेगावाट से अधिक)

| क्रम सं. | स्कीम का नाम (निष्पादन एजेंसी) | क्षेत्र | आई.सी. (मेगावाट में) (सं. x मेगावाट) |
|--------------------------------|---|----------|---|
| आंध्र प्रदेश | | | |
| 1 | पोलावरम (एपजैको/सिंचाई विभाग, ए.पी.) | राज्य | 12x80=960.00 मेगावाट |
| उप-जोड़: आंध्र प्रदेश | | | 960.00 मेगावाट |
| अरुणाचल प्रदेश | | | |
| 2 | कामेंग (नीपको) | केंद्रीय | 4x150=600.00 मेगावाट |
| 3 | सुबानसिरी लोअर (एनएचपीसी) | केंद्रीय | 8x250=2000.00 मेगावाट |
| उप-जोड़: अरुणाचल प्रदेश | | | 2600.00 मेगावाट |
| हिमाचल प्रदेश | | | |
| 4 | पारबती स्टे.-II (एनएचपीसी) | केंद्रीय | 4x200=800.00 मेगावाट |
| 5 | उहल-III (बीवीपीसीएल) | राज्य | 3x33.33=100.00 मेगावाट |
| 6 | स्वारा कुड्डू (एचपीपीसीएल) | राज्य | 3x37=111.00 मेगावाट |
| 7 | शॉगटोंग करछम (एचपीपीसीएल) | राज्य | 3x150=450.00 मेगावाट |
| 8 | बजोली होली (जीएमआर) | निजी | 3x60=180.00 मेगावाट |
| 9 | सोरांग (एचएसपीसीएल) | निजी | 2x50=100.00 मेगावाट |
| 10 | टंगनु रोमई (टीआरपीजी) | निजी | 2x22=44.00 मेगावाट |
| 11 | टिडोंग-I (स्टेटक्राफ्ट आईपीएल) | निजी | 100.00=100.00 मेगावाट |
| उप-जोड़: हिमाचल प्रदेश | | | 1885.00 मेगावाट |
| जम्मू व कश्मीर | | | |
| 12 | पकलदुल (सीवीपीपीएल) | केंद्रीय | 4x250=1000.00 मेगावाट |
| 13 | परनई (जेकेएसपीडीसी) | राज्य | 3x12.5=37.50 मेगावाट |
| 14 | लोअर कलनई (जेकेएसपीडीसी) | राज्य | 2x24=48.00 मेगावाट |
| 15 | रत्ले (आरएचईपीपीएल) | निजी | 4x205 + 1x30=850.00 मेगावाट |
| उप-जोड़: जम्मू व कश्मीर | | | 1935.50 मेगावाट |
| केरल | | | |
| 16 | पल्लीवसल (केएसईबी) | राज्य | 2x30=60.00 मेगावाट |
| 17 | थोटियार (केएसईबी) | राज्य | 1x30+1x10=40.00 मेगावाट |
| उप-जोड़: केरल | | | 100.00 मेगावाट |
| मध्य प्रदेश | | | |
| 18 | महेश्वर (एसएमएचपीसीएल) | निजी | 10x40=400.00 मेगावाट |
| उप-जोड़: मध्य प्रदेश | | | 400.00 मेगावाट |
| महाराष्ट्र | | | |
| 19 | कोयना लेफ्ट बैंक (डब्ल्यूआरडी, एमएएच) | राज्य | 2x40=80.00 मेगावाट |
| उप-जोड़: महाराष्ट्र | | | 80.00 मेगावाट |
| पंजाब | | | |
| 20 | शाहपुरकंडी (पीएसपीसीएल/सिंचाई विभाग, पंजाब) | राज्य | 3x33+3x33+1x8=206.00 मेगावाट |

| | | | |
|----|-------------------------------|----------|-------------------------|
| | उप-जोड़: पंजाब | | 206.00 मेगावाट |
| | सिक्किम | | |
| 21 | तीस्ता स्टे.-VI एनएचपीसी | केंद्रीय | 4x125=500.00 मेगावाट |
| 22 | भास्मे (गति इंफ्रास्ट्रक्चर) | निजी | 3x17=51.00 मेगावाट |
| 23 | रंगित-IV (जल पावर) | निजी | 3x40=120.00 मेगावाट |
| 24 | रंगित-II (सिक्किम हाइड्रो) | निजी | 2x33=66.00 मेगावाट |
| 25 | रोंगनीचू (मध्य भारत) | निजी | 2x48=96.00 मेगावाट |
| 26 | पनन (हिमगिरी) | निजी | 4x75=300.00 मेगावाट |
| | उप-जोड़: सिक्किम | | 1133.00 मेगावाट |
| | तमिलनाडु | | |
| 27 | कुंडहा पम्पड स्टोरेज | राज्य | 1x125=125.00 मेगावाट |
| | उप-जोड़: तमिलनाडु | | 125.00 मेगावाट |
| | उत्तराखंड | | |
| 28 | लता तपोवन (एनटीपीसी) | केंद्रीय | 3x57=171.00 मेगावाट |
| 29 | तपोवन विष्णुगाड (एनटीपीसी) | केंद्रीय | 4x130=520.00 मेगावाट |
| 30 | टिहरी पीएसएस (टीएचडीसी) | केंद्रीय | 4x250=1000.00 मेगावाट |
| 31 | विष्णुगाड पीपलकोटि (टीएचडीसी) | केंद्रीय | 4x111=444.00 मेगावाट |
| 32 | नैटवर मोरी (एसजेवीएनएल) | केंद्रीय | 2x30=60.00 मेगावाट |
| 33 | व्यासी (यूजेवीएनएल) | राज्य | 2x60=120.00 मेगावाट |
| 34 | फाटा ब्यूग (लैंको) | निजी | 2x38=76.00 मेगावाट |
| 35 | सिंगोली भटवारी (एलएंडटी) | निजी | 3x33=99.00 मेगावाट |
| | उप-जोड़: उत्तराखंड | | 2490.00 मेगावाट |
| | पश्चिम बंगाल | | |
| 36 | रम्माम-III (एनटीपीसी) | केंद्रीय | 3x40=120.00 मेगावाट |
| | उप-जोड़: पश्चिम बंगाल | | 120.00 मेगावाट |
| | कुल: | | 12034.50 मेगावाट |

लोक सभा में दिनांक 04.07.2019 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2108 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

रुकी हुई निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाएं

(31.05.2019 की स्थिति के अनुसार)

| क्रम सं. | परियोजना का नाम/निष्पादन एजेंसी/क्षमता (मेगावाट) | राज्य/जिला | लागत आधिक्य (करोड़ रुपए) |
|----------|---|--|--|
| | केंद्रीय क्षेत्र | | |
| 1 | लता तपोवन, एनटीपीसी लिमिटेड 3x57=171 मेगावाट | उत्तराखंड-चमोली | 274.07 |
| 2 | सुबानसिरी लोअर, एनटीपीसी लिमिटेड 8x250=2000 मेगावाट | अरुणाचल प्रदेश/असम लोअर सुबानसिरी/धेमाजी | 13211.01 |
| 3 | तीस्ता-VI, लैंको तीस्ता हाइड्रो पावर लि. 4x125=500 मेगावाट (परियोजना का 08.03.2019 से एनएचपीसी द्वारा अधिग्रहण किया गया) | सिक्किम/दक्षिणी सिक्किम | एनसीएलटी द्वारा परियोजना को फिर से एनएचपीसी को आबंटित किया गया है। |
| | राज्य क्षेत्र | | |
| 4 | कोयना लेफ्ट बैंक पीएसएस, डब्ल्यूआरडी, महाराष्ट्र सरकार 2x40=80 मेगावाट | महाराष्ट्र/सतारा | 1249.92 |
| 5 | लोअर कलनई, जेकेएसडीपीसी 2x24=48 मेगावाट | जेएंडके/किश्तवाड़ | विकासकर्ता द्वारा अद्यतित नहीं की गई |
| | निजी क्षेत्र | | |
| 6 | महेश्वर, श्री महेश्वर हाइडल पावर कारपोरेशन लिमिटेड 10x40= 400 मेगावाट | मध्य प्रदेश/खरगोन व खंडवा | 6551.73 |
| 7 | रंगित-IV, जल पावर कारपो. लि. (जेपीसीएल) 3x40= 120 मेगावाट | सिक्किम/पश्चिमी सिक्किम | 966.43 |
| 8 | पनन, हिमगिरी हाइड्रो एनर्जी प्रा. लि. 4x75 = 300 मेगावाट | सिक्किम/उत्तरी सिक्किम | 682.95 |
| 9 | रत्ने, जीवीके रत्ने हाइड्रो इलैक्ट्रिक प्रोजेक्ट प्रा. लि. 4x205+1x30=850 मेगावाट | जेएंडके/किश्तवाड़ | 921.26 |
| 10 | टंगनु रोमई, टंगनु रोमई पावर जेनरेशन 2x22=44 मेगावाट | हिमाचल प्रदेश/शिमला | 386.89 |
| 11 | रंगित-II, सिक्किम हाइड्रो प्रा. लि. 2x33=66 मेगावाट | सिक्किम/पश्चिमी सिक्किम | विकासकर्ता द्वारा अद्यतित नहीं की गई |
| 12 | भास्मे, गाटी इंफ्रास्ट्रक्चर 2x25.5=51 मेगावाट | सिक्किम/पूर्वी सिक्किम | 281.80 |
| 13 | फाटा ब्यंग, लैंको 2x38=76 मेगावाट | उत्तराखंड/रुद्रप्रयाग | 612 |

कुल = 13 (4706 मेगावाट)

टिप्पणी :- लागत आंकड़े विकासकर्ताओं द्वारा मासिक प्रगति रिपोर्टों में उपलब्ध कराए गए हैं।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारंकित प्रश्न संख्या-2116

जिसका उत्तर 04 जुलाई, 2019 को दिया जाना है ।

विद्युत खरीद समझौता

2116. श्री दिलीप साईकिया:

श्री अनिल फिरोजिया:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या राज्यों द्वारा हस्ताक्षरित त्रुटिपूर्ण विद्युत खरीद समझौता देश में खराब विद्युत वितरण का एक मुख्य कारण है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ग) उक्त स्थिति के संबंध में सरकार की उज्ज्वल विद्युत वितरण आश्वासन योजना (उदय) किस स्तर तक लाभकारी सिद्ध हुई है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री

(श्री आर. के. सिंह)

(क) से (ग) : विद्युत क्रय करार (पीपीए) विक्रेता अर्थात् उत्पादन कंपनी और प्रापक अर्थात् वितरण कंपनी के बीच एक संविदा है। विद्युत खरीद के लिए टैरिफ, अधिनियम की धारा 63 के अनुसार प्रतिस्पर्धी बोली के जरिए अथवा विद्युत अधिनियम 62 के अनुसार विनियामक द्वारा निर्धारित किया जाता है। वितरण क्षेत्र का निष्पादन; विभिन्न घटकों जैसे वितरण नेटवर्क की पर्याप्तता; मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त विद्युत की व्यवस्था; वितरण कंपनियों की दक्षताओं; एटीएंडसी हानियों में कमी करना आदि पर निर्भर करता है।

विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के वित्तीय और प्रचालनात्मक टर्नआउंड के लिए भारत सरकार ने 20.11.2015 को उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) की शुरुआत की है। उदय के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप और उदय पोर्टल पर राज्यों द्वारा डाले गए आंकड़ों के अनुसार, राज्य विद्युत वितरण यूटिलिटीयों ने अनेक पैरामीटरों में अपने कार्यनिष्पादन में सुधार की सूचना दी है, जैसा कि (i) समग्र तकनीकी एवं वाणिज्यिक (एटीएंडसी) हानियां वित्तीय वर्ष 2015-16 में 20.80% से घटकर वित्तीय वर्ष 2017-18 में 18.76% तक हो गई हैं और (ii) आपूर्ति की औसत लागत (एसीएस) - वसूल किया गया औसत राजस्व (एआरआर) अंतर वर्ष 2015-16 में 60 पैसे प्रति यूनिट से घटकर वर्ष 2017-18 में 17 पैसे प्रति यूनिट रह गया है, इस प्रकार विद्युत वितरण क्षेत्र में सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2118

जिसका उत्तर 04 जुलाई, 2019 को दिया जाना है।

विद्युत की मांग और आपूर्ति में अंतर

2118. श्री सय्यद ईमत्याज जलील:

श्री असादुद्दीन औवेसी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत ने विद्युत उत्पादन के सभी स्रोतों अर्थात्, तापविद्युत, पनबिजली, परमाणु और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में उच्च उत्पादन स्तर प्राप्त किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उच्च उत्पादन के बावजूद देश में विद्युत की मांग और आपूर्ति में अत्यधिक अंतर है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ङ) विगत दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कुल विद्युत की मांग और आपूर्ति कितनी है;

(च) मांग और आपूर्ति में अंतर के लिए उत्तरदायी विद्युत पारेषण, वितरण और चोरी से हुई कुल हानि कितनी है; और

(छ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री

(श्री आर. के. सिंह)

(क) और (ख) : विगत तीन वर्षों अर्थात् 2016-17, 2017-18 तथा 2018-19 के दौरान देश में 25 मेगावाट और उससे अधिक के संयंत्रों के परंपरागत ईंधन स्रोतों तथा नवीकरणीय स्रोतों से विद्युत उत्पादन में वृद्धि हुई है। विगत तीन वर्षों के स्रोतवार उत्पादन का ब्यौरा अनुबंध-1 में दिया गया है।

(ग) से (ङ) : दिनांक 31.05.2019 की स्थिति के अनुसार संस्थापित उत्पादन क्षमता लगभग 357 गीगावाट (जीडब्ल्यू) था जो देश की व्यस्ततम विद्युत मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। चालू वर्ष 2019-20 (मई, 2019 तक) के दौरान हुई अधिकतम व्यस्ततम मांग लगभग 183 जीडब्ल्यू थी जिसे सफलतापूर्वक पूरा किया गया था। अप्रैल से मई, 2019 के दौरान देश में औसत विद्युत कमी लगभग केवल 0.4 प्रतिशत थी और व्यस्ततम विद्युत कमी लगभग केवल 0.5 प्रतिशत थी। विगत दो वर्षों अर्थात चालू वर्ष 2019-20 (मई, 2019 तक) के दौरान देश में विद्युत आपूर्ति स्थिति का राज्य-वार ब्यौरा अनुबंध-II में दिया गया है। यह अंतर सामान्यतः वितरण नेटवर्क में कठिनाइयां, वितरण कंपनियों द्वारा विद्युत खरीदने के लिए वित्तीय कठिनाइयां आदि जैसे घटकों के कारण है।

(च) और (छ) : अंतर राज्य पारेषण प्रणाली (आईएसटीएस) में पारेषण हानियां 2.5 प्रतिशत से 3.0 प्रतिशत के बीच है जो तकनीकी कारण हैं। उज्ज्वल डिस्कॉम एशयोरेंस योजना (उदय) के अंतर्गत भागीदार राज्यों द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार कुल तकनीकी एवं वाणिज्यिक (एटीएंडसी) हानियां जिनमें 2017-18 के लिए चोरी और छिटपुट चोरी शामिल है, 18.7 प्रतिशत थी। उपरोक्त हानियों जिनमें विद्युत प्रणाली के लिए अंतर्निहित तकनीकी हानियां शामिल हैं, के बावजूद आपूर्ति और मांग के बीच व्यावहारिक रूप से अंतर नहीं है।

वितरण स्तर पर हानियों को कम करने के लिए सरकार ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में वितरण अवसंरचना को सुदृढ़ करने हेतु क्रमशः एकीकृत विद्युत विकास योजना (आईपीडीएस) तथा दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) जैसी कई योजनाएं शुरू की हैं। इसमें उपभोक्ताओं और प्रणाली मीटरिंग का प्रावधान, स्टार रेटडिड ट्रांसफार्मर, भूमिगत केबलिंग, एरियल बंडल केबल शामिल हैं। कुल 32 राज्यों/संघराज्य क्षेत्रों और उनकी विद्युत वितरण यूटिलिटियों ने उदय के अंतर्गत समझौता-ज्ञापन (एमओयू) भी हस्ताक्षरित किए हैं जो परिणामों का मुख्य मानदंड है तथा यह एटीएंडसी हानि के स्तर को 15 प्रतिशत तक कम करेंगे।

लोक सभा में दिनांक 04.07.2019 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2118 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष (मई, 2019 तक) के लिए स्रोत-वार उत्पादन का ब्यौरा

| स्रोत | 30.05.2019 की स्थिति के अनुसार निगरानी की गई क्षमता (मेगावाट में) | उत्पादन (मेगावाट में) | | |
|-------------------------------------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2018-19 | 2017-18 | 2016-17 |
| थर्मल | 226212.85 | 1072223.88 | 1037059.10 | 994230.17 |
| न्यूक्लियर | 6780.00 | 37812.59 | 38346.12 | 37915.87 |
| हाइड्रो | 45399.22 | 134893.61 | 126122.70 | 122377.56 |
| भूटान से आयात | - | 4406.62 | 4778.33 | 5617.34 |
| कुल (पारंपरिक) | 278392.07 | 1249336.70 | 1206306.25 | 1160140.94 |
| नवीकरणीय स्रोत | | 126759.09 | 101839.48 | 81548.21 |
| सकल जोड़ (पारंपरिक+नवीकरणीय) | | 1376095.79 | 1308145.73 | 1241689.15 |

* अनंतिम आधारित वास्तविक-सह-मूल्यांकन
टिप्पणी: 25 मेगावाट एवं इससे अधिक के पारंपरिक स्रोतों (थर्मल, हाइड्रो और न्यूक्लियर) से सकल उत्पादन।

लोक सभा में दिनांक 04.07.2019 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 2118 के भाग (ग) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

पिछले दो वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान ऊर्जा की दृष्टि से राज्य/संघराज्य क्षेत्र-वार मांग एवं आपूर्ति का ब्यौरा मई, 2019 तक

| विद्युत आपूर्ति स्थिति (ऊर्जा) | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------|---------------------|--------------------------|------------|----------------------------|---------------------|--------------------------|------------|----------------------------|---------------------|--------------------------|------------|
| राज्य/सिस्टम/क्षेत्र | अप्रैल, 2019 - मई, 2019* | | | | अप्रैल, 2018 - मार्च, 2019 | | | | अप्रैल, 2017 - मार्च, 2018 | | | |
| | ऊर्जा आवश्यकता | आपूर्ति की गई ऊर्जा | आपूर्ति नहीं की गई ऊर्जा | | ऊर्जा आवश्यकता | आपूर्ति की गई ऊर्जा | आपूर्ति नहीं की गई ऊर्जा | | ऊर्जा आवश्यकता | आपूर्ति की गई ऊर्जा | आपूर्ति नहीं की गई ऊर्जा | |
| | (एमयू) | (एमयू) | (एमयू) | (%) | (एमयू) | (एमयू) | (एमयू) | (%) | (एमयू) | (एमयू) | (एमयू) | (%) |
| चंडीगढ़ | 271 | 271 | 0 | 0.0 | 1,571 | 1,571 | 0 | 0.0 | 1,610 | 1,601 | 9 | 0.5 |
| दिल्ली | 6,065 | 6,064 | 1 | 0.0 | 32,299 | 32,282 | 17 | 0.1 | 31,826 | 31,806 | 19 | 0.1 |
| हरियाणा | 8,679 | 8,679 | 0 | 0.0 | 53,665 | 53,665 | 0 | 0.0 | 50,775 | 50,775 | 0 | 0.0 |
| हिमाचल प्रदेश | 1,654 | 1,644 | 10 | 0.6 | 9,850 | 9,618 | 232 | 2.4 | 9,399 | 9,346 | 53 | 0.6 |
| जम्मू व कश्मीर | 3,364 | 2,720 | 644 | 19.1 | 18,988 | 15,616 | 3,372 | 17.8 | 18,808 | 15,050 | 3,759 | 20.0 |
| पंजाब | 8,475 | 8,475 | 0 | 0.0 | 55,328 | 55,315 | 13 | 0.0 | 54,812 | 54,812 | 0 | 0.0 |
| राजस्थान | 13,313 | 13,300 | 13 | 0.1 | 79,815 | 79,626 | 189 | 0.2 | 71,194 | 70,603 | 591 | 0.8 |
| उत्तर प्रदेश | 22,897 | 22,817 | 79 | 0.3 | 117,133 | 116,149 | 984 | 0.8 | 120,052 | 118,303 | 1,749 | 1.5 |
| उत्तराखंड | 2,449 | 2,449 | 0 | 0.0 | 13,845 | 13,753 | 92 | 0.7 | 13,457 | 13,426 | 31 | 0.2 |
| उत्तरी क्षेत्र | 67,166 | 66,419 | 747 | 1.1 | 382,493 | 377,595 | 4,898 | 1.3 | 371,934 | 365,723 | 6,211 | 1.7 |
| छत्तीसगढ़ | 5,765 | 5,764 | 1 | 0.0 | 26,471 | 26,417 | 54 | 0.2 | 25,916 | 25,832 | 84 | 0.3 |
| गुजरात | 21,748 | 21,748 | 0 | 0.0 | 116,372 | 116,356 | 15 | 0.0 | 109,984 | 109,973 | 12 | 0.0 |
| मध्य प्रदेश | 12,735 | 12,735 | 0 | 0.0 | 76,056 | 76,054 | 2 | 0.0 | 69,925 | 69,925 | 0 | 0.0 |
| महाराष्ट्र | 29,295 | 29,294 | 0 | 0.0 | 158,295 | 158,157 | 137 | 0.1 | 149,761 | 149,531 | 230 | 0.2 |
| दमन व दीव | 443 | 443 | 0 | 0.0 | 2,558 | 2,558 | 0 | 0.0 | 2,534 | 2,534 | 0 | 0.0 |
| दादरा नागर हवेली | 1,106 | 1,106 | 0 | 0.0 | 6,303 | 6,302 | 0 | 0.0 | 6,168 | 6,168 | 0 | 0.0 |
| गोवा | 801 | 801 | 0 | 0.0 | 4,295 | 4,292 | 3 | 0.1 | 4,117 | 4,117 | 0 | 0.0 |
| पश्चिमी क्षेत्र | 71,893 | 71,892 | 1 | 0.0 | 390,349 | 390,136 | 212 | 0.1 | 368,405 | 368,080 | 326 | 0.1 |
| आंध्र प्रदेश | 11,709 | 11,702 | 7 | 0.1 | 63,861 | 63,804 | 58 | 0.1 | 58,384 | 58,288 | 96 | 0.2 |
| तेलंगाना | 10,772 | 10,771 | 1 | 0.0 | 66,489 | 66,427 | 62 | 0.1 | 60,319 | 60,235 | 83 | 0.1 |
| कर्नाटक | 13,569 | 13,568 | 1 | 0.0 | 71,764 | 71,695 | 69 | 0.1 | 67,869 | 67,701 | 168 | 0.2 |
| केरल | 4,888 | 4,878 | 10 | 0.2 | 25,016 | 24,898 | 118 | 0.5 | 25,002 | 24,917 | 85 | 0.3 |
| तमिलनाडु | 20,031 | 20,030 | 1 | 0.0 | 109,482 | 109,380 | 102 | 0.1 | 106,006 | 105,839 | 166 | 0.2 |
| पुडुचेरी | 517 | 516 | 1 | 0.1 | 2,766 | 2,756 | 10 | 0.3 | 2,668 | 2,661 | 7 | 0.3 |
| लक्षद्वीप# | 8 | 8 | 0 | 0.0 | 46 | 46 | 0 | 0.0 | 47 | 47 | 0 | 0.0 |
| दक्षिणी क्षेत्र | 61,486 | 61,465 | 21 | 0.0 | 339,377 | 338,960 | 417 | 0.1 | 320,248 | 319,642 | 606 | 0.2 |
| बिहार | 5,662 | 5,659 | 3 | 0.1 | 30,061 | 29,825 | 236 | 0.8 | 27,019 | 26,603 | 417 | 1.5 |
| झीवीसी | 3,757 | 3,755 | 2 | 0.1 | 22,745 | 22,372 | 372 | 1.6 | 21,549 | 21,373 | 176 | 0.8 |
| झारखंड | 1,505 | 1,495 | 10 | 0.7 | 8,737 | 8,490 | 247 | 2.8 | 7,907 | 7,753 | 154 | 1.9 |
| ओडिशा | 5,261 | 5,261 | 0 | 0.0 | 32,145 | 32,115 | 30 | 0.1 | 28,802 | 28,706 | 96 | 0.3 |
| पश्चिम बंगाल | 9,920 | 9,897 | 23 | 0.2 | 51,471 | 51,287 | 184 | 0.4 | 50,760 | 50,569 | 191 | 0.4 |
| सिक्किम | 78 | 78 | 0 | 0.0 | 527 | 527 | 0 | 0.1 | 485 | 484 | 0 | 0.1 |
| अंडमान-निकोबार# | 58 | 54 | 4 | 6.7 | 346 | 323 | 23 | 6.7 | 328 | 299 | 29 | 8.9 |
| पूर्वी क्षेत्र | 26,182 | 26,144 | 38 | 0.1 | 145,686 | 144,616 | 1,070 | 0.7 | 136,522 | 135,489 | 1,034 | 0.8 |
| अरुणाचल प्रदेश | 127 | 126 | 1 | 0.6 | 869 | 859 | 9 | 1.1 | 799 | 788 | 10 | 1.3 |
| असम | 1,573 | 1,434 | 139 | 8.8 | 9,566 | 9,238 | 328 | 3.4 | 9,094 | 8,779 | 315 | 3.5 |
| मणिपुर | 135 | 134 | 2 | 1.2 | 905 | 895 | 10 | 1.2 | 874 | 827 | 46 | 5.3 |
| मेघालय | 336 | 318 | 18 | 5.5 | 1,957 | 1,956 | 2 | 0.1 | 1,557 | 1,553 | 3 | 0.2 |
| मिजोरम | 100 | 99 | 1 | 0.8 | 643 | 635 | 8 | 1.2 | 497 | 488 | 9 | 1.7 |
| नागालैंड | 124 | 123 | 1 | 0.8 | 888 | 795 | 93 | 10.5 | 794 | 774 | 20 | 2.5 |
| त्रिपुरा | 292 | 288 | 4 | 1.3 | 1,863 | 1,841 | 22 | 1.2 | 2,602 | 2,553 | 49 | 1.9 |
| पूर्वोत्तर क्षेत्र | 2,686 | 2,521 | 165 | 6.2 | 16,691 | 16,219 | 472 | 2.8 | 16,216 | 15,763 | 453 | 2.8 |
| अखिल भारत | 229,413 | 228,441 | 972 | 0.4 | 1,274,595 | 1,267,526 | 7,070 | 0.6 | 1,213,326 | 1,204,697 | 8,629 | 0.7 |
| * अनंतिम | | | | | | | | | | | | |
| # लक्षद्वीप और अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह स्टैंड अलोन प्रणाली में हैं, इसलिए इनकी विद्युत आपूर्ति की स्थिति क्षेत्रीय आवश्यकता और आपूर्ति का भाग नहीं है। | | | | | | | | | | | | |
| टिप्पणी: राज्य यूटिलिटीयों/विद्युत विभागों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के आधार पर विद्युत आपूर्ति स्थिति रिपोर्ट संकलित की गई है। | | | | | | | | | | | | |

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2135

जिसका उत्तर 04 जुलाई, 2019 को दिया जाना है ।

जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण

2135. श्री तापिर गावः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) केन्द्र सरकार और अरुणाचल प्रदेश राज्य सरकार के बीच जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण के लिए हस्ताक्षरित समझौता-जापनों का ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या उक्त परियोजनाओं को केन्द्र सरकार से आवश्यक पर्यावरण और अन्य स्वीकृति प्राप्त हुई हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या उक्त परियोजनाएं अभी शुरू नहीं हुई हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;
- (घ) क्या केन्द्र सरकार की राज्य में जल विद्युत की प्रचुर उपलब्धता का उपयोग कराने की कोई वैकल्पिक योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ङ) केन्द्र सरकार द्वारा अरुणाचल प्रदेश में किए गए नदी-बेसिन संबंधी अध्ययनों का ब्यौरा क्या है और तत्संबंधी प्रमुख परिणाम क्या हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री

(श्री आर. के. सिंह)

(क) से (ग) : जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण के लिए संघ सरकार और अरुणाचल प्रदेश सरकार (जीओएपी) के बीच कोई समझौता जापन (एमओयू) हस्ताक्षरित नहीं हुआ था। तथापि, अरुणाचल प्रदेश सरकार और विद्युत मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन जल विद्युत सीपीएसई के बीच हस्ताक्षरित समझौता-जापनों का विवरण प्रत्येक परियोजना के लिए प्राप्त पर्यावरणीय स्वीकृति (ईसी)/वन स्वीकृति (एफसी) की स्थिति सहित, ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

| क्रम सं. | एचईपी/विकासकर्ता का नाम | संस्थापित क्षमता (मेगावाट) | एमओयू के हस्ताक्षर की तिथि | प्राप्त की गई पर्यावरण स्वीकृति | प्राप्त की गई वन स्वीकृति | |
|----------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------|--------|
| | | | | | चरण-I | चरण-II |
| 1 | रंगानदी*/नीपको | 405 | 1978 (एनईसी) | 26.07.1985 | 05.07.1990 | |

| | | | द्वारा सुपुर्द) | | | |
|----|---|------|-----------------|---|-----------------------|-----------------------|
| 2 | कामेंग**/नीपको | 600 | 31.03.1999 | 29.03.2001 | 25.05.1992 | 03.08.2000 |
| 3 | पारे एचईपी***/ नीपको | 110 | 21.09.2006 | 13.09.2006 | 11.01.2008 | 24.06.2009 |
| 4 | सुबानसिरी**** लोअर/एनएचपीसी | 2000 | 27.01.2010 | 16.07.2003 | 10.06.2003 | 12.10.2004 |
| 5 | दिबांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट/एनएचपीसी | 2880 | 24.06.2007 | 19.05.2015 | 15.04.2015 | प्राप्त नहीं की गई |
| 6 | तवांग स्टेज-I/ एनएचपीसी | 600 | 24.06.2007 | 10.06.2011 | प्राप्त नहीं की गई | प्राप्त नहीं की गई |
| 7 | तवांग स्टेज-II/ एनएचपीसी | 800 | 24.06.2007 | 10.06.2011 | 08.01.2014 | प्राप्त नहीं की गई |
| 8 | सियांग अपर स्टे.-II /नीपको | 3750 | 28.05.2013 | टीओआर स्वीकृति: 22.10.2014 | | |
| 9 | कुरुंग/नीपको | 330 | 27.01.2015 | टीओआर स्वीकृति: 22.04.2016 | | |
| 10 | दोईमुख/एसजेवीएन एल | 52 | 12.08.2014 | जीओएपी ने दिनांक 13.09.2017 के अपने पत्र द्वारा दोईमुख एचईपी को वापस ले लिया है। | | |

* रंगानदी एचईपी नीपको द्वारा 2002 में चालू की गई थी।

** कामेंग एचईपी चालू करने के अग्रिम चरण में है।

*** पारे एचईपी नीपको द्वारा 2018 में चालू की गई थी।

**** सुबानसिरी लोअर एचईपी परियोजना का निर्माण कार्य 2005 में चालू किया गया था परंतु स्थानीय आंदोलन तथा एनजीटी द्वारा स्थगन के कारण दिसम्बर, 2011 से बंद पड़ा है।

(घ) : अरुणाचल प्रदेश सरकार निजी विकासकर्ताओं के साथ कार्रवाई कर रही है और परियोजना को पूरा करने के लिए उनकी सहायता कर रही है। इसके साथ-साथ जहां विकासकर्ताओं ने निर्माण कार्य शुरू नहीं किया है, वहां परियोजना को समाप्त करने पर विचार किया जा रहा है। इस प्रकार की 21 परियोजनाएं नए विकासकर्ताओं को पुनः आर्बिट्रि करणे हेतु पहले ही समाप्त की जा चुकी हैं।

भारत सरकार ने भी विद्युत मंत्रालय के दिनांक 08.03.2019 के कार्यालय जापन सं. 15/2/2016-एच.। (पार्ट) के तहत देश में जल विद्युत क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए काफी उपाय अनुमोदित किए हैं जो निम्नानुसार हैं:-

- बड़ी जल विद्युत (एलएचपी) (>25 मेगावाट परियोजनाएं) को नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत घोषित करना।
- जल विद्युत क्रय दायित्व (एचपीओ) को गैर-सौर नवीकरणीय क्रय दायित्व (आरपीओ) के भीतर एक पृथक निकाय।
- जल विद्युत टैरिफ को कम करने के लिए टैरिफ यौक्तिकीकरण उपाय।
- बाढ़ नियन्त्रण/स्टोरेज जल विद्युत परियोजनाओं (एच ई पी) के लिए बजटीय सहायता।
- सक्षमीकरण ढांचे अर्थात् सड़कों/पुलों आदि की लागत के लिए बजटीय सहायता।

क. 200 मेगावाट तक की परियोजनाओं के लिए 1.5 करोड़ रुपए प्रति मेगावाट

ख. 200 मेगावाट से अधिक की परियोजनाओं के लिए 1.0 करोड़ रुपए प्रति मेगावाट

(ड) : अरुणाचल प्रदेश में सियांग, सुबानसिरी, बिचोम, लोहित, डिबांग, कामेंग (बिचोम को छोड़कर) तथा तवांग रीवर बेसिनों के संबंध में परामर्शदाताओं के जरिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा बेसिन-वार संचयी पर्यावरण प्रभाव अध्ययन पहले ही किए जा चुके हैं। उनके प्रमुख निष्कर्ष निम्नानुसार हैं:-

| बेसिन का नाम | मुख्य परिणाम |
|-----------------|---|
| सियांग बेसिन | <ul style="list-style-type: none"> • 15 एचईपी छोड़ दी गई • 3 एचईपी में एफआरएल घटा दिया गया • 1 एचईपी में क्षमता घटा दी गई • 28 एचईपी के लिए ई-फ्लो की सिफारिश की गई |
| सुबानसिरी बेसिन | <ul style="list-style-type: none"> • 1 एचईपी छोड़ दी गई • 2 एचईपी का 1 में विलय कर दिया गया • 1 एचईपी के लिए ई-फ्लो की सिफारिश की गई |
| बिचोम बेसिन | <ul style="list-style-type: none"> • 4 एचईपी का परित्याग कर दिया गया • 1 एचईपी के लिए लेवल/स्थान संशोधन की सिफारिश की गई • सभी परियोजनाओं के लिए ई-फ्लो की सिफारिश की गई |
| लोहित बेसिन | <ul style="list-style-type: none"> • 1 एचईपी छोड़ दी गई |
| कामेंग बेसिन | <ul style="list-style-type: none"> • 7 एचईपी छोड़ दी गई |
| दिबांग बेसिन | <ul style="list-style-type: none"> • 1 एचईपी छोड़ दी गई • 2 एचईपी के लिए ई-फ्लो की सिफारिश की गई |
| तवांग बेसिन | <ul style="list-style-type: none"> • 2 एचईपी छोड़ दी गई • 1 एचईपी के लिए 4 ऋतुओं के अध्ययन की सिफारिश की गई |

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2146

जिसका उत्तर 04 जुलाई, 2019 को दिया जाना है ।

विद्युत ट्रांसफार्मरों का उन्नयन एवं नवीनीकरण

2146. श्री मुकेश राजपूतः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास नगरपालिका एवं नगर पंचायत के क्षेत्रों में स्थित जीर्ण-शीर्ण विद्युत ट्रांसफार्मरों के उन्नयन एवं नवीनीकरण के लिए किसी योजना का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ऐसे नगरों में विद्युत आपूर्ति तंत्र में सुधार के लिए सर्वेक्षण करवाने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री

(श्री आर. के. सिंह)

(क) और (ख) : विद्युत अधिनियम 2003, के अनुसार, विद्युत का वितरण लाइसेंसबद्ध गतिविधि है तथा संबंधित वितरण यूटिलिटी का यह दायित्व होता है कि वह अपने प्रचालन क्षेत्र में गुणवत्तापरक और विश्वसनीय विद्युत की आपूर्ति करने के लिए खराब पड़े हुए ट्रांसफार्मरों का उन्नयन तथा प्रतिस्थापन करें। भारत सरकार राज्यों को सक्षम बनाने के लिए उनकी वितरण अवसंरचना जिसमें वितरण ट्रांसफार्मरों का संवर्धन शामिल है, में सुधार करने के लिए समय समय पर विभिन्न योजनाओं की शुरुआत करके राज्यों की सहायता कर रही है। भारत सरकार ने नगर पालिका तथा नगर पंचायत क्षेत्रों सहित शहरी क्षेत्रों में वितरण अवसंरचना में सुधार करने के लिए दिसम्बर, 2014 में एकीकृत विद्युत विकास योजना (आईपीडीएस) की शुरुआत की थी। आईपीडीएस के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में उप-पारेषण तथा वितरण नेटवर्क को सुदृढ़ करने के लिए राज्यों को केंद्रीय वित्त पोषण किया जा रहा है। आईपीडीएस के अंतर्गत कार्य क्षेत्र इस प्रकार हैं:

एकीकृत विद्युत विकास योजना(आईपीडीएस) के अंतर्गत सम्पूर्ण भारत में फैले 546 सर्किलों के लिए ट्रांसफार्मर संस्वीकृत किए गए हैं। इसका ब्यौरा नीचे दिया गया है:

| क्रम सं. | मद | क्षमता | संख्या |
|----------|-------------------------------|-------------|--------|
| 1 | सब-स्टेशन | 10987 एमवीए | 1043 |
| 2 | अतिरिक्त विद्युत ट्रांसफार्मर | 2947 एमवीए | 440 |
| 3 | क्षमता वृद्धि (पीटी) | 4433 एमवीए | 1133 |
| 4 | नए वितरण ट्रांसफार्मर | 8274 एमवीए | 60309 |
| 5 | क्षमता वृद्धि (डीटी) | 3301 एमवीए | 28471 |
| | कुल | 29942 एमवीए | 91396 |

(ग) और (घ) : आईपीडीएस के अंतर्गत किए गए कार्यों जिनमें वे वितरण ट्रांसफार्मर कार्य शामिल हैं, का मूल्यांकन करने के लिए आईपीडीएस के अंतर्गत तृतीय पक्ष सयुक्त मूल्यांकन प्रणाली की परिकल्पना की गई है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2169

जिसका उत्तर 04 जुलाई, 2019 को दिया जाना है।

एलईडी बल्बों का स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव

2169. श्री एंटो एन्टोनी:

श्री बालाशोवरी वल्लभानेनी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार एलईडी बल्बों/लाइटों के उपयोग को बढ़ावा दे रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;
- (ख) क्या सरकार ने इस बात पर ध्यान दिया है कि फ्रांस में हाल ही में एक अध्ययन में इस बात का खुलासा हुआ है कि एलईडी लाइटें फोटो टॉक्सिक होती हैं और रेटिना को नुकसान पहुंचा सकती हैं तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या वैज्ञानिक रूप से यह साबित हो चुका है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (घ) क्या सरकार ने आंखों पर एलईडी की रोशनी पड़ने के प्रभावों का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन कराया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ङ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का निकट भविष्य में यह अध्ययन कराए जाने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री

(श्री आर. के. सिंह)

(क) : माननीय प्रधानमंत्री ने 5 जनवरी, 2015 को नेशनल एलईडी प्रोग्राम की शुरुआत की जिसके दो घटक हैं (i) घरेलू उपभोक्ताओं को एलईडी बल्ब उपलब्ध कराने के लिए सभी के लिए सस्ती एलईडी द्वारा उन्नत ज्योति (उजाला) और (ii) ऊर्जा दक्ष एलईडी स्ट्रीट लाइटों से परंपरागत स्ट्रीट लाइटों को बदलने के लिए स्ट्रीट लाइटिंग नेशनल प्रोग्राम (एसएलएनपी)। विद्युत मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों का एक संयुक्त

उद्यम एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) कार्यक्रम की कार्यान्वयन एजेंसी है। नेशनल एलईडी प्रोग्राम का उद्देश्य (i) लाइटिंग क्षेत्र में ऊर्जा खपत कम करना है जिससे डिस्कॉमों को व्यस्ततम मांग प्रबंधन में सहायता मिलती है, और (ii) घरेलू उपभोक्ताओं को ऊर्जा बिल कम करने के लिए सस्ती दरों पर सर्वाधिक दक्ष लाइटिंग तकनीकी के उपयोग को बढ़ावा देना है जिससे ऊर्जा बिल कम आये।

28 जून, 2019 की स्थिति के अनुसार, ईईएसएल ने पूरे देश में 35.16 करोड़ एलईडी बल्बों का वितरण किया है और 92 लाख एलईडी स्ट्रीट लाइटें लगाई हैं।

(ख) से (ड) : इंडियन कौंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (आईसीएमआर) से प्राप्त सूचना के अनुसार, एलईडी के संबंध में खाद्य, पर्यावरणीय और व्यवसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के लिए फ्रेंच एजेंसी के श्वेत पत्र ने यह निष्कर्ष निकाला है कि ब्लू रिच लाइटों के एक्यूट एक्सपोजर से रेटिना फोटो टोक्सिटी होती है और शायंकाल और रात्रि में ब्लू रिच लाइटों से सिक्रेडियन रिथमस का विघटन होता है।

इसके अतिरिक्त, विद्युत मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संगठन, केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान (सीपीआरआई) ने सूचित किया है कि रोशनी में सीधे देखने, जैसे एलईडी बल्बों के प्रकाश स्रोत को देखने, सूर्य सहित किसी क्लीयर प्रकाशनीय फिलामेंट को देखने से आंखों को नुकसान हो सकता है। इसके अतिरिक्त, जो लैम्प संबंधित मानकों को पूरा नहीं करते, उनसे त्वचा और आंखों को जोखिम हो सकता है।

सरकार ने एलईडी लाइटों के जोखिम के प्रभाव जानने के लिए अलग से कोई अध्ययन नहीं किया है। तथापि, भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) ने एलईडी बल्बों और एलईडी ट्यूब लाइटों के लिए सुरक्षा और निष्पादन मानकों को अधिदेशित किया है। इसके अतिरिक्त, प्रकाश स्रोतों के फोटो-बायलोजिकल प्रभाव को महसूस करते हुए बीआईएस ने लैम्पों और लैम्प प्रणालियों की फोटो-बायलोजिकल सुरक्षा पर भी मानक अधिदेशित किए हैं। एलईडी लैम्पों और एलईडी ट्यूब लाइटों के लिए भारतीय मानक (आईएस 16102 (भाग 1) और आईएस 16614 (भाग 1) में आईएस 16108 (भाग 2) में दिए गए अनुसार लैम्पों के फोटो-बायलोजिकल हैजर्ड-रिलेटेड रिस्क ग्रुप के लिए अपेक्षित अनिवार्य मार्किंग शामिल है। वर्तमान में एलईडी लाइटों के स्वास्थ्य जोखिम के प्रभाव को ज्ञात करने के लिए अलग से अध्ययन करने का कोई विशेष प्रस्ताव नहीं है।

उजाला योजना के अंतर्गत ईईएसएल द्वारा खरीदे गए एलईडी बल्ब बीआईएस द्वारा निर्धारित गुणवत्ता नियंत्रण उपाय अर्थात् आईएस 16102 (भाग 1) और (भाग 2):2012 के अनुरूप हैं। ये मानक बीएसआई द्वारा मई, 2015 में अनिवार्य किए गए थे और घरेलू विनिर्माण तथा आयातों पर भी लागू होते हैं।

एलईडी बल्बों को 1 जनवरी, 2018 से ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के अनिवार्य स्टार लेबलिंग प्रोग्राम के अंतर्गत रखा गया है। इस कार्यक्रम के भाग के रूप में, एलईडी बल्ब विनिर्माताओं के लिए यह अनिवार्य है कि लैम्पों और लैम्प प्रणालियों को राष्ट्रीय मानक आईएस 16108-फोटो-बायलोजिकल सेफ्टी के अनुसार संबंधित एलईडी बल्ब मॉडल के लिए फोटो बायलोजिकल टेस्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2181

जिसका उत्तर 04 जुलाई, 2019 को दिया जाना है ।

विद्युत का उत्पादन

2181. श्री राजेशभाई नारणभाई चुड़ासमा:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में विद्युत उत्पादन में वृद्धि करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त प्रयोजन हेतु क्या लक्ष्य और समय-सीमा निर्धारित की गई है;

(ग) क्या उक्त लक्ष्य प्राप्त कर लिए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री

(श्री आर. के. सिंह)

(क) से (घ): 2018 में अधिसूचित राष्ट्रीय विद्युत नीति के अनुसार 2017-22 की अवधि के दौरान 1,76,140 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता जोड़े जाने की सम्भावना है जिसमें ताप विद्युत से 47,855 मेगावाट, जल विद्युत से 6823 मेगावाट, नाभिकीय से 3300 मेगावाट और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से 1,17,756 मेगावाट शामिल है।

2017-19 की अवधि के दौरान 35,824 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता जोड़ी गई है जिसमें ताप विद्युत से 14,492 मेगावाट, जल विद्युत से 935 मेगावाट और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से 20,397 मेगावाट शामिल है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2189

जिसका उत्तर 04 जुलाई, 2019 को दिया जाना है।

ऊर्जा संकट

2189. श्री बी.बी. पाटील:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में कोई ऊर्जा-संकट है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या विद्युत उत्पादकों ने क्षमताओं का अल्प उपयोग करके हजारों मेगावाट विद्युत की आपूर्ति नहीं की है तथा वे शोधन अक्षमता कार्यवाही का सामना कर रहे हैं और उपभोक्ता बिजली के कटों और लोड शेडिंग का सामना कर रहे हैं तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) विद्युत उत्पादक जिन बड़ी समस्याओं को सामना कर रहे हैं उनका ब्यौरा क्या है तथा इस समस्या के समाधान हेतु क्या उपचारात्मक उपाय/कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री

(श्री आर. के. सिंह)

(क) और (ख) : राज्यों द्वारा केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) को दी गई सूचना के अनुसार, अप्रैल-मई, 2019 के दौरान देश में व्यस्ततम और ऊर्जा की कमी क्रमशः केवल 0.5 प्रतिशत और 0.4 प्रतिशत थी। इस प्रकार, देश में ऊर्जा का कोई संकट नहीं है। 31.05.2019 की स्थिति के अनुसार, संस्थापित उत्पादन क्षमता लगभग 357 गीगावाट है जो देश की विद्युत मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। चालू वर्ष के दौरान अधिकतम व्यस्ततम मांग लगभग 183 गीगावाट थी जिसे सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है।

(ग) : भारत सरकार ने संकटग्रस्त ताप विद्युत परियोजनाओं के मामलों का समाधान करने के लिए मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति (एचएलईसी) गठित की थी। एचएलईसी की रिपोर्ट 12.11.2018 को प्रस्तुत की गई थी और इसे विद्युत मंत्रालय की वेबसाइट पर पब्लिक डोमेन में भी रखा गया था। एचएलईसी की रिपोर्ट में विद्युत क्षेत्र में संकट के प्रमुख कारणों का उल्लेख किया गया है जो इस प्रकार हैं:

(i) कोयला आपूर्ति से संबंधित मुद्दे

- (ii) इक्विटी और सर्विस ऋण देने के लिए प्रवर्तकों की अक्षमता
- (iii) विकासकर्ताओं द्वारा परियोजनाओं का मंद कार्यान्वयन
- (iv) बैंकों/वित्तीय संस्थानों से संबंधित मुद्दे
- (v) प्रतिस्पर्द्धी बोली प्रक्रिया में बोलीदाताओं द्वारा उद्धृत अधिक प्रशुल्क
- (vi) विनियामक एवं संविदागत विवाद
- (vii) कोयला खान नीलामी से संबंधित कानूनी मुद्दे
- (viii) भूमि अधिग्रहण में विलंब, अपर्याप्त पारेषण प्रणाली आदि जैसे अन्य प्रचालनात्मक मुद्दे

उच्च स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति (एचएलईसी) की सिफारिशों के आधार पर संकटग्रस्त विद्युत परियोजनाओं के बारे में मंत्रियों के समूह (जीओएम) ने सिफारिशें की हैं। सरकार द्वारा यथाअनुमोदित जीओएम की मुख्य सिफारिशें इस प्रकार हैं :

- (i) अल्पकालिक विद्युत क्रय करार (पीपीए) के लिए कोल लिंकेज की अनुमति।
- (ii) डिस्कॉमों द्वारा भुगतान में चूक होने के कारण पीपीए समाप्त होने की स्थिति में उपयोग किए जाने वाले अनुमत्य मौजूदा कोयला लिंकेज।
- (iii) पूर्व घोषित लिंकेजों के विरुद्ध नोडल एजेंसी द्वारा थोक विद्युत की खरीद।
- (iv) केंद्र/राज्य जेनको विद्युत के समूहक के रूप में कार्य करें।
- (v) विद्युत क्षेत्र के लिए विशेष फॉरवर्ड ई-नीलामी के लिए कोयले की मात्रा में वृद्धि।
- (vi) कोल लिंकेज नीलामी नियमित अंतराल पर आयोजित की जाए।
- (vii) कोयले की कम आपूर्तियों की नान-लैप्सिंग।
- (viii) वार्षिक संविदागत मात्रा (एसीक्यू) दक्षता आधार पर निर्धारित की जाए।
- (ix) विलंब भुगतान अधिभार (एलपीएस) के भुगतान को अनिवार्य बनाया गया है।
- (x) विद्युत क्रय करार (पीपीए)/ईंधन आपूर्ति करार (एफएसए)/दीर्घकालिक खुली पहुंच (एलटीओए), पोस्ट नेशनल कंपनी लॉ ट्रीब्यूनल (एनसीएलटी) परिदृश्य को रद्द न करना।
- (xi) वाणिज्यिक प्रचालन तिथि (सीओडी) का पालन न करने पर पीपीए रद्द न करना।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-2191
जिसका उत्तर 04 जुलाई, 2019 को दिया जाना है ।

संकटग्रस्त विद्युत संयंत्र

2191. श्री कानुमुरु रघु राम कृष्णराजू:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार का देश में संकटग्रस्त विद्युत संयंत्रों की सुरक्षा और उन्हें बचाने का विचार है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या सरकार ने संकटग्रस्त संयंत्रों के प्रशुल्क को कम नहीं करने के लिए विनियामकों को निर्देश जारी किए हैं; और
- (ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री

(श्री आर. के. सिंह)

(क) : विद्युत क्षेत्र में संकटग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम अनुबंध में सूचीबद्ध दिए गए हैं।

(ख) : जी नहीं।

(ग) : प्रश्न नहीं उठता।

लोक सभा में दिनांक 04.07.2019 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2191 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

भारत सरकार ने संकटग्रस्त ताप विद्युत परियोजनाओं के मामलों का समाधान करने के लिए मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति (एचएलईसी) गठित की थी। एचएलईसी की रिपोर्ट 12.11.2018 को प्रस्तुत की गई थी और इसे विद्युत मंत्रालय की वेबसाइट पर पब्लिक डोमेन में भी रखा गया था।

उसके बाद सरकार ने एचएलईसी की विशिष्ट सिफारिशों की जांच करने के लिए मंत्रियों के समूह (जीओएम) का गठन किया था। मंत्रियों के समूह (जीओएम) ने संकटग्रस्त विद्युत परियोजनाओं के बारे में सिफारिशें की थीं। सरकार द्वारा यथाअनुमोदित जीओएम की मुख्य सिफारिशें इस प्रकार हैं :

- (i) अल्पकालिक विद्युत क्रय करार (पीपीए) के लिए कोल लिंकेज की अनुमति।
- (ii) डिस्कॉमों द्वारा भुगतान में चूक होने के कारण पीपीए समाप्त होने की स्थिति में उपयोग किए जाने वाले अनुमत्य मौजूदा कोयला लिंकेज।
- (iii) पूर्व घोषित लिंकेजों के विरुद्ध नोडल एजेंसी द्वारा थोक विद्युत की खरीद।
- (iv) केंद्र/राज्य जेनको विद्युत के समूहक के रूप में कार्य करें।
- (v) विद्युत क्षेत्र के लिए विशेष फॉरवर्ड ई-नीलामी के लिए कोयले की मात्रा में वृद्धि।
- (vi) कोल लिंकेज नीलामी नियमित अंतराल पर आयोजित की जाए।
- (vii) कोयले की कम आपूर्तियों की नान-लैप्सिंग।
- (viii) वार्षिक संविदागत मात्रा (एसीक्यू) दक्षता आधार पर निर्धारित की जाए।
- (ix) विलंब भुगतान अधिभार (एलपीएस) के भुगतान को अनिवार्य बनाया गया है।
- (x) विद्युत क्रय करार (पीपीए)/ईंधन आपूर्ति करार (एफएसए)/दीर्घकालिक खुली पहुंच (एलटीओए), पोस्ट नेशनल कंपनी लॉ ट्रीब्यूनल (एनसीएलटी) परिदृश्य को रद्द न करना।
- (xi) वाणिज्यिक प्रचालन तिथि (सीओडी) का पालन न करने पर पीपीए रद्द न करना।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2194

जिसका उत्तर 04 जुलाई, 2019 को दिया जाना है।

बिजली की कम खपत करने वाले विद्युत उपकरण

2194. श्री एस.आर. पार्थिवनः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विद्युत की मांग और आपूर्ति का ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा विद्युत की मांग और आपूर्ति के अंतर को पाटने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार विद्युत की मांग को कम करने के लिए एलईडी बल्बों को बढ़ावा देने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) बिजली की कम खपत करने वाले विद्युत कुशल इलेक्ट्रिकल उपकरणों को बढ़ावा देने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री

(श्री आर. के. सिंह)

(क) : राज्यों द्वारा केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) को दी गई सूचना के अनुसार चालू वर्ष 2019-20 (मई, 2019 तक) के दौरान देश में विद्युत आपूर्ति स्थिति का राज्य-वार ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

(ख) : भारत सरकार दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई), एकीकृत विद्युत विकास योजना (आईपीडीएस), प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना - सौभाग्य, उज्ज्वल डिस्काम एथ्योरेंस योजना (उदय) सहित अपनी स्कीमों के माध्यम से राज्यों के प्रयासों को बढ़ावा देती हैं। ये स्कीमें सभी के लिए 24x7 विद्युत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वितरण नेटवर्क/ग्रिड कनेक्टिविटी को सुदृढ़ बनाने में उनकी सहायता करती हैं और उपभोक्ताओं को निर्बाध विद्युत आपूर्ति को सुकर बनाएंगी।

भारत सरकार केन्द्रीय उत्पादन स्टेशनों (सीजीएस) से विद्युत आबंटित करके राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की भी सहायता करती है। राज्य मांग और आपूर्ति के बीच की कमी को पूरा करने के लिए पावर एक्सचेंजों सहित विभिन्न बाजार तंत्रों के माध्यम से भी विद्युत खरीद सकते हैं।

(ग) और (घ) : एनर्जी एफिसिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल), विद्युत मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (पीएसयू) की एक संयुक्त उद्यम कंपनी जो पूरे देश में घरेलू उपभोक्ताओं को सभी के लिए सस्ती एलईडी (उजाला) द्वारा उन्नत ज्योति के अन्तर्गत लाइट इमिटिंग डायोड (एलईडी) बल्ब वितरित कर रही है। आज की स्थिति के अनुसार ईईएसएल ने 35.30 करोड़ एलईडी बल्बो वितरित किए हैं जिसके परिणामस्वरूप 9180 मेगावाट की अपरिहार्य व्यस्ततम मांग के साथ 45.85 बिलियन केडब्ल्यूएच प्रतिवर्ष की अनुमानित ऊर्जा बचत और प्रति वर्ष 37.13 मिलियन टन CO₂ के जीएचजी उत्सर्जन में कमी होने का अनुमान है।

उजाला के अन्तर्गत एलईडी बल्बों के वितरण के अलावा एलईडी उद्योग ने भी मार्च, 2019 तक 111.66 करोड़ एलईडी बल्बों की बिक्री की है।

(ङ) : ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) ने उपभोक्ताओं को ऊर्जा बचत विकल्प और मार्केटेड हाउसहोल्ड उपस्कर/ उपकरणों की लागत बचत संभावना के बारे में सूचना प्रदान करने के उद्देश्य से स्टैण्डर्ड एण्ड लैबलिंग (एस एण्ड एल) कार्यक्रम शुरू किया है। इन उपकरणों को 1 स्टार से 5 स्टार तक रेटेड किया गया जिनमें 5 स्टार सबसे दक्ष है। इस पहल से मध्यम और दीर्घावधि में ऊर्जा बचत का प्रभाव प्रत्याशित है जबकि उसी समय ऐसे बाजारों में घरेलू उद्योगों की स्थिति प्रतिस्पर्धात्मक होगी जहां ऊर्जा दक्षता के लिए मानदण्ड अनिवार्य होते हैं।

लोक सभा में दिनांक 04.07.2019 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 2194 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

2019-20 के लिए विद्युत आपूर्ति स्थिति (अंतिम)

| राज्य/सिस्टम/क्षेत्र | ऊर्जा | | | | व्यस्ततम | | | |
|---------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|------------|--------------------------|------------------|----------------------|------------|
| | अप्रैल, 2019 - मई, 2019* | | | | अप्रैल, 2019 - मई, 2019* | | | |
| | ऊर्जा आवश्यकता | आपूर्ति की गई ऊर्जा | आपूर्ति नहीं की गई ऊर्जा | | व्यस्ततम मांग | व्यस्ततम आपूर्ति | पूरी नहीं की गई मांग | |
| | (एमयू) | (एमयू) | (एमयू) | (%) | (मेगावाट) | (मेगावाट) | (मेगावाट) | (%) |
| चंडीगढ़ | 271 | 271 | 0 | 0 | 356 | 356 | 0 | 0 |
| दिल्ली | 6,065 | 6,064 | 1 | 0.0 | 6,461 | 6,461 | 0 | 0.0 |
| हरियाणा | 8,679 | 8,679 | 0 | 0.0 | 8,874 | 8,874 | 0 | 0.0 |
| हिमाचल प्रदेश | 1,654 | 1,644 | 10 | 0.6 | 1,480 | 1,480 | 0 | 0.0 |
| जम्मू व कश्मीर | 3,364 | 2,720 | 644 | 19.1 | 2,885 | 2,426 | 459 | 15.9 |
| पंजाब | 8,475 | 8,475 | 0 | 0.0 | 8,802 | 8,802 | 0 | 0.0 |
| राजस्थान | 13,313 | 13,300 | 13 | 0.1 | 11,791 | 11,791 | 0 | 0.0 |
| उत्तर प्रदेश | 22,897 | 22,817 | 79 | 0.3 | 22,487 | 22,057 | 430 | 1.9 |
| उत्तराखंड | 2,449 | 2,449 | 0 | 0.0 | 2,155 | 2,155 | 0 | 0.0 |
| उत्तरी क्षेत्र | 67,166 | 66,419 | 747 | 1.1 | 60,987 | 60,078 | 909 | 1.5 |
| छत्तीसगढ़ | 5,765 | 5,764 | 1 | 0.0 | 4,596 | 4,574 | 22 | 0.5 |
| गुजरात | 21,748 | 21,748 | 0 | 0.0 | 18,094 | 18,094 | 0 | 0.0 |
| मध्य प्रदेश | 12,735 | 12,735 | 0 | 0.0 | 10,145 | 10,131 | 14 | 0.1 |
| महाराष्ट्र | 29,295 | 29,294 | 0 | 0.0 | 23,621 | 23,613 | 8 | 0.0 |
| दमन व दीव | 443 | 443 | 0 | 0.0 | 344 | 344 | 0 | 0.1 |
| दादरा नागर हवेली | 1,106 | 1,106 | 0 | 0.0 | 818 | 818 | 0 | 0.0 |
| गोवा | 801 | 801 | 0 | 0.0 | 594 | 594 | 0 | 0.0 |
| पश्चिमी क्षेत्र | 71,893 | 71,892 | 1 | 0.0 | 57,113 | 57,093 | 20 | 0.0 |
| आंध्र प्रदेश | 11,709 | 11,702 | 7 | 0.1 | 9,854 | 9,854 | 0 | 0.0 |
| तेलंगाना | 10,772 | 10,771 | 1 | 0.0 | 10,269 | 10,202 | 67 | 0.7 |
| कर्नाटक | 13,569 | 13,568 | 1 | 0.0 | 12,700 | 12,688 | 12 | 0.1 |
| केरल | 4,888 | 4,878 | 10 | 0.2 | 4,316 | 4,300 | 16 | 0.4 |
| तमिलनाडु | 20,031 | 20,030 | 1 | 0.0 | 15,680 | 15,659 | 21 | 0.1 |
| पुडुचेरी | 517 | 516 | 1 | 0.1 | 453 | 444 | 9 | 2.0 |
| लक्षद्वीप | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| दक्षिणी क्षेत्र | 61,486 | 61,465 | 21 | 0.0 | 49,218 | 49,103 | 115 | 0.2 |
| बिहार | 5,662 | 5,659 | 3 | 0.1 | 5,481 | 5,481 | 0 | 0.0 |
| झारखंड | 3,757 | 3,755 | 2 | 0.1 | 3,048 | 3,048 | 0 | 0.0 |
| झारखंड | 1,505 | 1,495 | 10 | 0.7 | 1,330 | 1,330 | 0 | 0.0 |
| ओडिशा | 5,261 | 5,261 | 0 | 0.0 | 5,142 | 5,140 | 3 | 0.1 |
| पश्चिम बंगाल | 9,920 | 9,897 | 23 | 0.2 | 9,335 | 9,335 | 0 | 0.0 |
| सिक्किम | 78 | 78 | 0 | 0.0 | 100 | 100 | 0 | 0.0 |
| अंडमान-निकोबार | 58 | 54 | 4 | 7 | 58 | 54 | 4 | 7 |
| पूर्वी क्षेत्र | 26,182 | 26,144 | 38 | 0.1 | 23,558 | 23,558 | 0 | 0.0 |
| अरुणाचल प्रदेश | 127 | 126 | 1 | 0.6 | 140 | 138 | 2 | 1.2 |
| असम | 1,573 | 1,434 | 139 | 8.8 | 1,910 | 1,673 | 237 | 12.4 |
| मणिपुर | 135 | 134 | 2 | 1.2 | 197 | 188 | 9 | 4.8 |
| मेघालय | 336 | 318 | 18 | 5.5 | 337 | 337 | 0 | 0.0 |
| मिजोरम | 100 | 99 | 1 | 0.8 | 116 | 113 | 3 | 2.8 |
| नागालैंड | 124 | 123 | 1 | 0.8 | 157 | 131 | 27 | 16.9 |
| त्रिपुरा | 292 | 288 | 4 | 1.3 | 297 | 295 | 1 | 0.5 |
| पूर्वोत्तर क्षेत्र | 2,686 | 2,521 | 165 | 6.2 | 2,848 | 2,780 | 68 | 2.4 |
| अखिल भारत | 229,413 | 228,441 | 972 | 0.4 | 183,513 | 182,533 | 981 | 0.5 |

* अंतिम

लक्षद्वीप और अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह स्टैंड अलोन प्रणाली में हैं, इसलिए इनकी विद्युत आपूर्ति की स्थिति क्षेत्रीय आवश्यकता और आपूर्ति का भाग नहीं है। बांग्लादेश को आपूर्ति छोड़कर।

टिप्पणी: राज्य यूटिलिटी/विद्युत विभागों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के आधार पर विद्युत आपूर्ति स्थिति रिपोर्ट संकलित की गई है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-2210
जिसका उत्तर 04 जुलाई, 2019 को दिया जाना है ।

बिहार में गांवों का विद्युतीकरण

2210. श्री गिरिधारी यादव:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार के बांका और जमुई जिलों में कई गांवों का अभी तक भी विद्युतीकरण नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस समय बांका और जमुई जिलों में जिले-वार कितने गांवों का अभी तक भी विद्युतीकरण नहीं किया गया है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री

(श्री आर. के. सिंह)

(क) से (ग) : राज्य द्वारा दी गई सूचना के अनुसार बिहार में बांका एवं जमुई जिलों सहित सभी आवासित जनगणना गांवों का 28.04.2018 तक विद्युतीकरण कर दिया गया है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2213

जिसका उत्तर 04 जुलाई, 2019 को दिया जाना है ।

बिजली चोरी की घटनाएं

2213. श्री रामचरण बोहरा:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या बिजली चोरी की घटनाओं के कारण विद्युत क्षेत्र का विकास प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है;
- (ग) क्या सरकार का देश में बिजली चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए राज्यों के परामर्श से कोई योजना तैयार करने का विचार है; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या दंडात्मक प्रावधान करने का प्रस्ताव है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री

(श्री आर. के. सिंह)

(क) और (ख): विद्युत चोरी विद्युत वितरण यूटिलिटियों की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करती है क्योंकि ये कुल तकनीकी एवं वाणिज्यिक (एटी एण्ड सी) हानियों में वृद्धि करती है।

वितरण नेटवर्क में एटी एण्ड सी हानियों में कमी का उत्तरदायित्व राज्य विद्युत विभागों/यूटिलिटियों का होता है। भारत सरकार ने राज्यों को उनकी वितरण अवसंरचना प्रणालियों तथा डिस्कामों के प्रबंधन में सुधार करने के लिए सक्षम बनाने हेतु एकीकृत विद्युत विकास योजना (आईपीडीएस), दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) तथा उज्ज्वल डिस्काम एश्योरेंस योजना (उदय) जैसी विभिन्न योजनाओं की शुरुआत की है ताकि चोरी के कारण होने वाली हानि सहित ऊर्जा हानियों में कमी लाई जा सके। आईपीडीएस/डीडीयूजीजेवाई योजनाओं के अन्तर्गत परियोजनाओं में वितरण ट्रांसफार्मरों/फीडरों/उपभोक्ताओं की मीटरिंग, एटी एण्ड सी हानियों में कमी के लिए वितरण अवसंरचना की आईटी समर्थता सहित भूमिगत (यूजी) तथा एरियल बंचड (एबी) केबल की परिकल्पना की जाती है।

(ग) : उज्ज्वल डिस्काम एश्योरेंस योजना (उदय) के अन्तर्गत राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्रों, विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्काम) तथा विद्युत मंत्रालय के साथ समझौता जापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ विद्युत चोरी के कारण होने वाली हानियाँ सहित कुल तकनीकी एवं वाणिज्यिक (एटी एण्ड सी) हानियों को 15% तक कम करने के लिए विभिन्न कदम उठाने हेतु विद्युत वितरण कंपनियाँ (डिस्कॉम) परिकल्पना करती हैं।

(घ) : विद्युत अधिनियम, 2003 में चोरी का पता लगाने, चोरी संबंधी अपराधों की शीघ्र जाँच करने तथा चोरी की गई विद्युत के प्रभारों की वसूली करने का भी प्रावधान है। विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 135 तथा 151 में विद्युत (संशोधन) अधिनियम, 2007 के माध्यम से संशोधन किया गया था जिसमें धारा 135-140 तथा धारा 150 के अन्तर्गत विद्युत चोरी को संज्ञेय तथा गैर-जमानती अपराध के रूप में दण्डनीय अपराध माना गया है। विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 135(1) के अन्तर्गत प्रावधान (घ) तथा (ड.) को शामिल करते हुए टैम्पर्ड मीटर का उपयोग तथा अप्राधिकृत प्रयोजन हेतु बिजली के उपयोग को कवर करने के लिए धारा 135 के अन्तर्गत विद्युत चोरी की परिभाषा का विस्तार किया गया है। विद्युत अधिनियम में विद्युत चोरी के अपराधों की शीघ्र जाँच करने के लिए धारा 153 के अन्तर्गत राज्य सरकारों द्वारा विशेष न्यायालय की स्थापना करने का भी प्रावधान है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2217

जिसका उत्तर 04 जुलाई, 2019 को दिया जाना है ।

विद्युत पारेषण टावरों का ध्वस्त होना

2217. श्री बिद्युत बरन महतो:

श्री गजानन कीर्तिकर:

श्री सुधीर गुप्ता:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, ट्रांसमिशन कंपनियों की बड़े पैमाने पर अनियमितताओं के कारण, अक्टूबर, 2016 से मार्च, 2018 के बीच 52 विद्युत पारेषण टावर ध्वस्त हो गए;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या अधिकांश बंद टावर प्रारंभ होने के 5 साल के भीतर विफल हो गए हैं;
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;
- (ङ) क्या सीईए की स्थायी समिति की सिफारिशों के बावजूद बिजली कंपनियां क्षतिग्रस्त भागों को बदलने के बजाय टावरों के अतिरिक्त घटकों की क्लैपिंग और क्लिपिंग कर रही थी; और
- (च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसी चूककर्त्ता बिजली कंपनियों के खिलाफ सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री

(श्री आर. के. सिंह)

(क) और (ख) : अक्टूबर, 2016 से मार्च, 2018 की अवधि के दौरान विभिन्न यूटिलिटियों ने आंधी, बाढ़, वाहन प्रभावों आदि जैसे कारणों से 220 केवी एवं इससे अधिक वोल्टेज स्तर के कुल 52 टावरों के टूटकर गिरने/एकाएक गिरने की सूचना दी। इनका ब्यौरा अनुबंध-I में दिया गया है।

(ग) और (घ) : अक्टूबर, 2016 से मार्च, 2018 के दौरान रिपोर्ट किए गए कुल पारेषण टावरों के गिरने से 75% से अधिक पारेषण लाइनों के चालू होने के 5 वर्ष के भीतर खराबी आई। इनका ब्यौरा अनुबंध-II में दिया गया है।

(ङ) और (च) : क्षतिग्रस्त/टूटे हुए टावरों को स्थायी समिति की सिफारिशों के अनुसार यूटिलिटियों द्वारा नए टावरों से बदल दिया गया है।

लोक सभा में दिनांक 04.07.2019 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 2217 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

अक्टूबर, 2016 से मार्च, 2018 के बीच सीईए को रिपोर्ट की गई विफल पारेषण लाइनों का ब्यौरा

| क्रम सं. | पारेषण लाइन का नाम | यूटिलिटी का नाम | चालू होने का वर्ष | विफल टावरों की संख्या | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र |
|----------|--|---|-------------------|-----------------------|-------------------------|
| 1. | 400 केवी/डीसी दादरी - पानीपत पारेषण लाइन | पीजीसीआईएल | 1984 | 5 | उत्तर प्रदेश |
| 2 | 400 केवी/डीसी सिलचर-पूर्व कंचन बारी पारेषण लाइन | पीजीसीआईएल | 2015 | 8 | असम |
| 3. | 765 केवी/डीसी वर्धा-निजामाबाद पारेषण लाइन | पीजीसीआईएल | 2017 | 1 | महाराष्ट्र |
| 4 | 400 केवी/डीसी कोडरमा-बोकारो पारेषण लाइन | पीजीसीआईएल | 2014 | 3 | झारखंड |
| 5. | 400 केवी/डीसी फरक्का-कहलगांव-I व II पारेषण लाइन | पीजीसीआईएल | 1992 | 4 | झारखंड |
| 6. | 765 केवी/एससी गया-वाराणसी-I पारेषण लाइन | पीजीसीआईएल | 2012 | 5 | बिहार |
| 7. | 765 केवी एस/सी बीना ग्वालियर पारेषण लाइन | पीजीसीआईएल | 2014 | 2 | मध्य प्रदेश |
| 8. | 765 केवी/एससी बीना-इंदौर पारेषण लाइन | पीजीसीआईएल | 2012 | 4 | मध्य प्रदेश |
| 9. | 765 केवी/एससी आगरा-जटिकारा पारेषण लाइन | पीजीसीआईएल | 2013 | 3 | हरयाणा |
| 10. | 400 केवी/एससी सिंगरौली-लखनऊ पारेषण लाइन | पीजीसीआईएल | 1986 | 2 | उत्तर प्रदेश |
| 11. | 765 केवी/एससी भिवानी-झटिकारा पारेषण लाइन | पीजीसीआईएल | 2012 | 1 | दिल्ली/हरियाणा |
| 12. | 400 केवी/डीसी टिकरीकलां-बवाना पारेषण लाइन | दिल्ली ट्रांसको लि. (डीटीएल) | 2000 | 1 | दिल्ली |
| 13. | 765 केवी/एससी जबलपुर-बीना पारेषण लाइन | स्टरलाइट पावर | 2015 | 5 | मध्य प्रदेश |
| 14. | ±500 एचवीडीसी मुंद्रा-मोहिंदरगढ़ पारेषण लाइन | अदानी ट्रांसमिशन लि. (एटीएल) | 2012 | 1 | गुजरात |
| 15 | (i) 400 केवी/डीसी बाढ़-मोतीहारी पारेषण लाइन (ii) 400 केवी/डीसी मोतीहारी गोरखपुर पारेषण लाइन | दरभंगा-मोतीहारी ट्रांसमिशन कंपनी लि. (डीएमटीसीएल) (एस्सेल इंफ्रा. लि.) | 2017 | 1 1 | बिहार |
| 16 | 765 केवी/डीसी नरेंद्र (न्यू)-मधुगिरी (टुमकुर) पारेषण लाइन (हेक्सा जेब्रा) | एलपंडटी | 2016 | 5 | कर्नाटक |

लोक सभा में दिनांक 04.07.2019 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2217 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

अक्तूबर, 2016 से मार्च, 2018 के बीच सीईए को रिपोर्ट की गई विफल पारेषण लाइनों का ब्यौरा जो शुरू होने के 5 वर्षों के भीतर ही विफल हो गईं

| क्रम सं. | पारेषण लाइन का नाम | यूटिलिटी का नाम | चालू होने का वर्ष | विफल टावरों की संख्या | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | विफलता के कारण |
|----------|---|-----------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|---|
| 1 | 400 केवी/डीसी सिलचर-पूर्व कंचन बारी पारेषण लाइन | पीजीसीआईएल | 2015 | 8 | असम | उत्थापन खामियां जैसे कि लुप्त कवर प्लेट्स, लेग मेम्बर्स के सपाट जोड़ों में लुप्त बोल्ट्स, खोले गए सूराख, जल भराव के कारण जंग लगे टुकड़े आदि के कारण टावर की मजबूती कम हो जाती है और स्थानीय आंधियों के साथ संयुक्त रूप से टावरों को खराब करती हैं। |
| 2. | 765 केवी/डीसी वर्धा-निजामाबाद पारेषण लाइन | पीजीसीआईएल | 2017 | 1 | महाराष्ट्र | पारेषण टावरों की ढांचागत अखंडता कई कारकों पर निर्भर करती है जिसमें टावर के ढांचे में उपयोग की गई सामग्री ग्रेड की गुणवत्ता, निर्माण विधि, कारीगरी एवं उत्थापन पद्धतियां, ढांचे की चोरी, पारेषण यूटिलिटियों का प्रचालन एवं रख-रखाव आदि शामिल हैं। उपरोक्त एक या एक से अधिक पहलुओं में कमियों के साथ हवा की तेज गति पारेषण टावरों की खराबी के कारण होती है। |
| 3. | 400 केवी/डीसी कोडरमा-बोकारो पारेषण लाइन | पीजीसीआईएल | 2014 | 3 | झारखंड | ---वही--- |
| 4. | 765 केवी एस/सी बीना ग्वालियर पारेषण लाइन | पीजीसीआईएल | 2014 | 2 | मध्य प्रदेश | ---वही--- |
| 5. | 765 केवी/एससी आगरा-जटिकारा पारेषण लाइन | पीजीसीआईएल | 2013 | 3 | हरियाणा | ---वही--- |
| 6. | 765 केवी/एससी जबलपुर-बीना पारेषण लाइन | स्टरलाइट पावर | 2015 | 5 | मध्य प्रदेश | पारेषण टावरों की ढांचागत अखंडता कई कारकों पर निर्भर करती है जिसमें टावर के ढांचे में उपयोग की गई सामग्री ग्रेड की गुणवत्ता, निर्माण विधि, कारीगरी एवं उत्थापन पद्धतियां, ढांचे की चोरी, पारेषण यूटिलिटियों का प्रचालन एवं रख-रखाव आदि शामिल हैं। उपरोक्त एक या एक से अधिक पहलुओं में कमियों के साथ हवा की तेज गति पारेषण टावरों की खराबी के कारण होती है। |

| | | | | | | |
|----|---|--|------|---|---------|---|
| 7. | (i) 400 केवी/डीसी बाढ़- मोतीहारी पारेषण लाइन | दरभंगा- मोतीहारी ट्रांसमिशन कंपनी लि. (डीएमटीसीएल) | 2017 | 1 | बिहार | गण्डक नदी में पानी का स्तर एचएफएल से 600 एमएम ऊपर और खतरे के निशान से 2000 एमएम ऊपर था। टावर नदी किनारे के निकट स्थित थे। बैराज से पानी के अचानक छोड़े जाने के कारण पानी की गति काफी अधिक हो गई होगी और किसी चट्टान ने गण्डक नदी में टावर की नींव को टक्कर मारी होगी जिससे टावर की नींव क्षतिग्रस्त हो गई होगी। |
| | (ii) 400 केवी/डीसी मोतीहारी गोरखपुर पारेषण लाइन | (एस्सेल इंफ्रा. लि.) | | | | |
| 8. | 765 केवी/डीसी नरेंद्र (न्यू)- मधुगिरी (टुमकुर) पारेषण लाइन (हेक्सा जेब्रा) | एलएंडटी | 2016 | 5 | कर्नाटक | यूटिलिटी द्वारा उपलब्ध कराए गए हवा गति के आंकड़े यह दर्शाते हैं कि हवा की गति 22:10 बजे अर्थात् टावर की खराबी के समय 16 एम/एस थी। 24.05.2017 को लगभग 21:20 बजे मापी गई हवा की अधिकतम गति 29.37 एम/एस थी जो हवा क्षेत्र-1 के लिए विचारणीय 33 एम/एस की डिजाइन हवा की गति से कम थी। हवा की अधिक गति ने टावर की खराबी को प्रेरित किया होगा लेकिन यह दुर्घटना का एक मात्र कारण नहीं हो सकता है। पारेषण टावरों की ढांचागत अखंडता कई कारकों पर निर्भर करती है जिसमें टावर के ढांचे में उपयोग की गई सामग्री ग्रेड की गुणवत्ता, निर्माण विधि, कारीगरी एवं उत्थापन पद्धतियां, ढांचे की चोरी, पारेषण यूटिलिटियों का प्रचालन एवं रख-रखाव आदि शामिल हैं। उपरोक्त एक या एक से अधिक पहलुओं में कमियों के साथ हवा की तेज गति पारेषण टावरों की खराबी के कारण प्रतीत होती है। |

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2222

जिसका उत्तर 04 जुलाई, 2019 को दिया जाना है।

ताप विद्युत संयंत्रों की स्थिति

2222. श्री पिनाकी मिश्रा:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) देश के सभी ताप विद्युत संयंत्रों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और उन प्लांटों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है जो उनकी पूर्ण क्षमता से संचालन में हैं;
- (ख) केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों और निजी कंपनियों द्वारा प्रबंधित सभी थर्मल पॉवर प्लांटों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या इन सभी बिजली संयंत्रों को अपनी पूरी क्षमता के लिए बिजली उत्पादन के लिए कोयले की आवश्यक मात्रा की आपूर्ति की जा रही है; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री

(श्री आर. के. सिंह)

(क) और (ख) : वर्ष 2018-19 तथा चालू वर्ष (मई, 2019 तक) के लिए केंद्रीय/राज्य/निजी क्षेत्र में प्रचालनरत सभी ताप विद्युत संयंत्रों का ब्यौरा उनके विद्युत उत्पादन तथा संयंत्र भार घटक (पीएलएफ) अनुबंध-I में दिया गया है।

स्टेशन का पीएलएफ कई घटकों जैसे नियोजित रख-रखाव के लिए बिजली बंद करना, उपकरणों की विफलता के कारण आकस्मिक बिजली बंद करना, कोयले की अपर्याप्त उपलब्धता आदि तथा लाभार्थियों द्वारा स्टेशन के लिए वास्तविक प्रेषण शेड्यूल पर निर्भर करता है। वास्तविक प्रेषण विद्युत की मौजूदा मांग, जल विद्युत, नाभिकीय और नवीकरणीय आदि जैसे दूसरे विभिन्न स्रोतों से विद्युत की उपलब्धता तथा आपूर्ति की परिवर्तनीय लागत पर आधारित स्टेशन के मैरिट आर्डर पर निर्भर करता है।

(ग) और (घ) : 2018-19 के दौरान देश में कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा 85 प्रतिशत पीएलएफ पर कोयले की आवश्यकता, कोयले (घरेलू+आयातित) की प्राप्ति और खपत अनुबंध-II में दी गई है।

लोक सभा में दिनांक 04.07.2019 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 2222 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष (मई, 2019 तक) के दौरान ताप विद्युत संयंत्रों के उत्पादन और संयंत्र भार घटक (पीएलएफ) का ब्यौरा

| क्षेत्र | राज्य | सेक्टर | ईंधन | संयंत्रों का नाम | 31.05.2019 की स्थिति के अनुसार निगरानी की गई क्षमता (मेगावाट) | 2018-19 | | 2019-20 (मई, 2019 तक)* | | |
|----------------|----------|---------------|----------------------|-----------------------|---|----------------|----------|------------------------|----------|------|
| | | | | | | उत्पादन (एमयू) | % पीएलएफ | उत्पादन (एमयू) | % पीएलएफ | |
| उत्तरी क्षेत्र | दिल्ली | राज्य | प्राकृतिक गैस | आई.पी. सीसीपीपी | 270 | 599.63 | 25.35 | 91.57 | 23.17 | |
| | | राज्य | प्राकृतिक गैस | प्रगति सीसीजीटी-III | 1500 | 3620.46 | 27.55 | 622.93 | 28.37 | |
| | | राज्य | प्राकृतिक गैस | प्रगति सीसीपीपी | 330.4 | 1515.62 | 52.37 | 223.65 | 46.24 | |
| | हरियाणा | केंद्रीय | कोयला | इंदिरा गांधी एसटीपीपी | 1500 | 7387.28 | 56.22 | 572.97 | 26.09 | |
| | | राज्य | कोयला | पानीपत टीपीएस | 920 | 3378.89 | 41.93 | 530.81 | 39.41 | |
| | | राज्य | कोयला | राजीव गांधी टीपीएस | 1200 | 3852.19 | 36.65 | 177.38 | 10.10 | |
| | | राज्य | कोयला | यमुना नगर टीपीएस | 600 | 3321.63 | 63.20 | 650.91 | 74.10 | |
| | | निजी | कोयला | महात्मा गांधी टीपीएस | 1320 | 6898.35 | 59.66 | 949.06 | 49.11 | |
| | | पंजाब | राज्य | कोयला | जीएच टीपीएस (लेह. मोह.) | 920 | 2485.15 | 30.84 | 86.47 | 6.42 |
| | | | राज्य | कोयला | रोपार टीपीएस | 840 | 1669.99 | 18.76 | 13.64 | 1.11 |
| निजी | कोयला | | गोइंदवाल साहिब | 540 | 2445.49 | 51.70 | 235.57 | 29.80 | | |
| निजी | कोयला | | राजपुरा टीपीपी | 1400 | 9123.71 | 74.39 | 1447.03 | 70.60 | | |
| राजस्थान | निजी | कोयला | तलवंडी साबो टीपीपी | 1980 | 10639.92 | 61.34 | 1923.59 | 66.36 | | |
| | केंद्रीय | लिग्नाइट | बरसिंगसर लिग्नाइट | 250 | 1357.10 | 61.97 | 166.26 | 45.43 | | |
| | केंद्रीय | प्राकृतिक गैस | अंता सीसीपीपी | 419.33 | 550.65 | 14.99 | 179.26 | 29.20 | | |
| | राज्य | कोयला | छाबड़ा टीपीपी | 2320 | 10379.13 | 83.22 | 2208.69 | 65.30 | | |
| | राज्य | कोयला | कालीसिंध टीपीएस | 1200 | 5550.40 | 52.80 | 678.55 | 38.62 | | |
| | राज्य | कोयला | कोटा टीपीएस | 1240 | 7921.01 | 72.92 | 1318.74 | 72.64 | | |
| | राज्य | कोयला | सूरतगढ़ टीपीएस | 1500 | 7168.92 | 54.56 | 798.68 | 36.37 | | |
| | राज्य | प्राकृतिक गैस | रामगढ़ सीसीपीपी | 273.8 | 998.09 | 41.61 | 140.79 | 35.12 | | |
| | निजी | कोयला | कवाई टीपीएस | 1320 | 7599.26 | 65.72 | 1417.39 | 73.35 | | |
| | निजी | लिग्नाइट | जलीपा कपूर्दी टीपीपी | 1080 | 6700.10 | 70.82 | 1011.86 | 64.00 | | |
| उत्तर प्रदेश | केंद्रीय | कोयला | दादरी (एनसीटीपीपी) | 1820 | 10533.54 | 66.07 | 1449.57 | 54.40 | | |
| | केंद्रीय | कोयला | मेजा एसटीपीपी | 660 | 69.61 | 1.20 | 279.67 | 35.91 | | |
| | केंद्रीय | कोयला | रिहंद एसटीपीएस | 3000 | 22686.80 | 86.33 | 4130.88 | 94.05 | | |
| | केंद्रीय | कोयला | सिंगरौली एसटीपीएस | 2000 | 14798.21 | 84.46 | 2594.42 | 88.61 | | |
| | केंद्रीय | कोयला | टांडा टीपीएस | 440 | 2371.80 | 61.53 | 405.34 | 62.93 | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------|-----------|----------|---------------|--------------------|--------|----------|-------|---------|-------|
| | | केंद्रीय | कोयला | ऊंचाहार टीपीएस | 1550 | 7241.00 | 71.52 | 1573.89 | 69.36 |
| | | केंद्रीय | प्राकृतिक गैस | ओरैया सीसीपीपी | 663.36 | 544.96 | 9.38 | 18.19 | 1.87 |
| | | केंद्रीय | प्राकृतिक गैस | दादरी सीसीपीपी | 829.78 | 1661.51 | 22.86 | 437.85 | 36.04 |
| | | राज्य | कोयला | अनपरा टीपीएस | 2630 | 20140.46 | 87.42 | 3447.13 | 89.53 |
| | | राज्य | कोयला | हरदुआगंज टीपीएस | 605 | 3141.52 | 59.28 | 572.08 | 64.59 |
| | | राज्य | कोयला | ओबरा टीपीएस | 1094 | 3648.03 | 38.07 | 621.70 | 38.82 |
| | | राज्य | कोयला | परीछा टीपीएस | 1140 | 4978.88 | 49.86 | 662.89 | 39.72 |
| | | निजी | कोयला | अनपरा सी टीपीएस | 1200 | 8236.75 | 78.36 | 1439.44 | 81.94 |
| | | निजी | कोयला | बरखेड़ा टीपीएस | 90 | 148.70 | 18.86 | 32.24 | 24.47 |
| | | निजी | कोयला | खाबरखेड़ा टीपीएस | 90 | 141.20 | 17.91 | 31.67 | 24.04 |
| | | निजी | कोयला | कुंदरकी टीपीएस | 90 | 203.67 | 25.83 | 50.23 | 38.12 |
| | | निजी | कोयला | ललितपुर टीपीएस | 1980 | 5449.92 | 31.42 | 1475.04 | 50.89 |
| | | निजी | कोयला | मकसूदपुर टीपीएस | 90 | 141.28 | 17.92 | 32.22 | 24.45 |
| | | निजी | कोयला | प्रयागराज टीपीपी | 1980 | 7759.32 | 44.74 | 1438.40 | 49.62 |
| | | निजी | कोयला | रोसा टीपीपी फेज-I | 1200 | 4340.90 | 41.29 | 1321.71 | 75.23 |
| | | निजी | कोयला | उतरौला टीपीएस | 90 | 196.09 | 24.87 | 32.76 | 24.86 |
| | उत्तराखंड | निजी | प्राकृतिक गैस | गामा सीसीपीपी | 225 | 412.36 | 20.92 | 135.72 | 41.20 |
| | | निजी | प्राकृतिक गैस | काशीपुर सीसीपीपी | 225 | 841.88 | 42.71 | 263.33 | 79.94 |
| पश्चिमी क्षेत्र | छत्तीसगढ़ | केंद्रीय | कोयला | भिलाई टीपीएस | 500 | 3426.23 | 78.22 | 554.08 | 75.69 |
| | | केंद्रीय | कोयला | कोरबा एसटीपीएस | 2600 | 20083.42 | 88.18 | 3394.85 | 89.19 |
| | | केंद्रीय | कोयला | लारा टीपीपी | 800 | 262.91 | 3.75 | 71.15 | 6.07 |
| | | केंद्रीय | कोयला | सीपत टीपीएस | 2980 | 23907.12 | 91.58 | 3968.45 | 90.96 |
| | | राज्य | कोयला | डीएसपीएम टीपीएस | 500 | 3828.15 | 87.40 | 679.72 | 92.86 |
| | | राज्य | कोयला | कोरबा-III | 240 | 1317.27 | 62.66 | 239.47 | 68.16 |
| | | राज्य | कोयला | कोरबा-वेस्ट टीपीएस | 1340 | 9472.41 | 80.70 | 1439.39 | 73.37 |
| | | राज्य | कोयला | मारवा टीपीएस | 1000 | 6415.52 | 73.24 | 729.09 | 49.80 |
| | | निजी | कोयला | अकलतारा टीपीएस | 1800 | 7912.22 | 50.18 | 1958.01 | 74.30 |
| | | निजी | कोयला | बाल्को टीपीएस | 600 | 2768.07 | 52.66 | 530.17 | 60.36 |
| | | निजी | कोयला | बंदाखार टीपीपी | 300 | 2137.60 | 81.34 | 389.68 | 88.72 |
| | | निजी | कोयला | बारदरहा टीपीएस | 1200 | 6729.62 | 64.02 | 1215.05 | 69.16 |
| | | निजी | कोयला | बिजकोट टीपीपी | 600 | 1464.92 | 27.87 | 484.09 | 55.11 |
| | | निजी | कोयला | चकाबुरा टीपीपी | 30 | 241.55 | 91.91 | 43.56 | 99.18 |
| | | निजी | कोयला | कसाईपल्ली टीपीपी | 270 | 1900.36 | 80.35 | 342.37 | 86.61 |
| | | निजी | कोयला | नवापारा टीपीपी | 600 | 3095.17 | 58.89 | 594.60 | 67.69 |
| | | निजी | कोयला | ओपी जिंदल टीपीएस | 1000 | 3349.21 | 38.23 | 489.46 | 33.43 |
| | | निजी | कोयला | पथाडी टीपीपी | 600 | 4293.08 | 81.68 | 658.70 | 74.99 |
| | | निजी | कोयला | रायखेड़ा टीपीपी | 1370 | 2830.89 | 46.68 | 699.44 | 34.87 |
| | | निजी | कोयला | रतीजा टीपीएस | 100 | 799.10 | 90.61 | 115.92 | 79.18 |
| | | निजी | कोयला | एसवीपीएल टीपीपी | 63 | 12.44 | 2.25 | 48.81 | 52.92 |

| | | | | | | | | | |
|--|-------------|----------|---------------|--------------------------------|---------|----------|-------|---------|--------|
| | | निजी | कोयला | तमनार टीपीपी | 2400 | 7044.63 | 39.51 | 1426.79 | 40.61 |
| | | निजी | कोयला | उचपिंडा टीपीपी | 1440 | 1953.26 | 20.27 | 439.58 | 20.85 |
| | गुजरात | केंद्रीय | प्राकृतिक गैस | गांधार सीसीपीपी | 657.39 | 1573.91 | 27.33 | 99.47 | 10.34 |
| | | केंद्रीय | प्राकृतिक गैस | कवास सीसीपीपी | 656.2 | 2499.39 | 43.48 | 451.89 | 47.04 |
| | | राज्य | कोयला | गांधीनगर टीपीएस | 630 | 3703.99 | 67.12 | 626.70 | 67.95 |
| | | राज्य | कोयला | सिक्का रिप. टीपीएस | 500 | 2725.93 | 62.24 | 551.14 | 75.29 |
| | | राज्य | कोयला | उकई टीपीएस | 1110 | 6936.96 | 71.34 | 1386.71 | 85.33 |
| | | राज्य | कोयला | वानकबोरी टीपीएस | 1470 | 8343.14 | 64.79 | 1488.54 | 69.17 |
| | | राज्य | लिग्नाइट | अकरीमोटा लिग्ना. टीपीएस | 250 | 1188.45 | 54.27 | 129.78 | 35.46 |
| | | राज्य | लिग्नाइट | कच्छ लिग्ना. टीपीएस | 290 | 1205.39 | 47.45 | 193.09 | 45.48 |
| | | राज्य | प्राकृतिक गैस | धुवरन सीसीपीपी | 594.72 | 699.97 | 13.44 | 69.65 | 8.00 |
| | | राज्य | प्राकृतिक गैस | हजीरा सीसीपीपी एक्सटें. | 351 | 352.28 | 11.46 | 56.34 | 10.96 |
| | | राज्य | प्राकृतिक गैस | पीपावाव सीसीपीपी | 702 | 493.76 | 8.03 | 26.34 | 2.56 |
| | | राज्य | प्राकृतिक गैस | उतरन सीसीपीपी | 374 | 418.22 | 12.77 | 54.78 | 10.00 |
| | | निजी | कोयला | मुंद्रा टीपीएस | 4620 | 23912.38 | 59.08 | 5573.33 | 82.40 |
| | | निजी | कोयला | मुंद्रा यूएमटीपीपी | 4000 | 26839.30 | 76.60 | 5122.70 | 87.48 |
| | | निजी | कोयला | साबरमती (डी-एफ स्टेशन) | 362 | 2785.64 | 87.84 | 491.26 | 92.70 |
| | | निजी | कोयला | सलाया टीपीपी | 1200 | 0.00 | 0.00 | 303.42 | 17.27 |
| | | निजी | लिग्नाइट | सूरत लिग्ना. टीपीएस | 500 | 3521.75 | 80.41 | 599.36 | 81.88 |
| | | निजी | प्राकृतिक गैस | डीजीईएन मेगा सीसीपीपी | 1200 | 0.70 | 0.01 | 273.42 | 15.56 |
| | | निजी | प्राकृतिक गैस | सुजैन सीसीपीपी | 1147.5 | 6237.45 | 62.05 | 1268.55 | 75.51 |
| | | निजी | प्राकृतिक गैस | यूनोसुजैन सीसीपीपी | 382.5 | 0.00 | 0.00 | 173.35 | 30.96 |
| | मध्य प्रदेश | केंद्रीय | कोयला | विंध्याचल एसटीपीएस | 4760 | 37539.00 | 90.03 | 6193.26 | 88.87 |
| | | राज्य | कोयला | अमरकंटक एक्सटें. टीपीएस | 210 | 1636.16 | 88.94 | 307.55 | 100.04 |
| | | राज्य | कोयला | संजय गांधी टीपीएस | 1340 | 8680.63 | 73.95 | 1351.17 | 68.88 |
| | | राज्य | कोयला | सतपुडा टीपीएस | 1330 | 7472.97 | 64.14 | 1068.14 | 54.86 |
| | | राज्य | कोयला | श्रीसिंगाजी टीपीपी | 2520 | 7753.38 | 60.68 | 1800.63 | 48.81 |
| | | निजी | कोयला | अनूपपुर टीपीपी | 1200 | 6689.60 | 63.64 | 1338.47 | 76.19 |
| | | निजी | कोयला | बीना टीपीएस | 500 | 2503.79 | 57.16 | 489.91 | 66.93 |
| | | निजी | कोयला | महान टीपीपी | 1200 | 3220.09 | 40.88 | 951.78 | 54.18 |
| | | निजी | कोयला | निगरी टीपीपी | 1320 | 7330.28 | 63.39 | 1347.34 | 69.72 |
| | | निजी | कोयला | निवारी टीपीपी | 45 | 77.38 | 19.63 | 35.60 | 54.04 |
| | | निजी | कोयला | सासन यूएमटीपीपी | 3960 | 32877.27 | 94.78 | 5671.03 | 97.82 |
| | | निजी | कोयला | सिओनी टीपीपी | 600 | 2500.55 | 47.58 | 515.09 | 58.64 |
| | महाराष्ट्र | केंद्रीय | कोयला | मौदा टीपीएस | 2320 | 11878.13 | 58.45 | 2211.45 | 65.11 |
| | | केंद्रीय | कोयला | सोलापुर | 1320 | 1783.67 | 30.85 | 76.69 | 3.97 |
| | | केंद्रीय | प्राकृतिक गैस | रत्नागिरी सीसीपीपी | 1967.08 | 4465.63 | 25.92 | 729.13 | 25.32 |
| | | राज्य | कोयला | भुसावल टीपीएस | 1210 | 6595.75 | 62.23 | 1251.50 | 70.65 |
| | | राज्य | कोयला | चंद्रपुर (महाराष्ट्र) एसटीपीएस | 2920 | 15850.79 | 61.97 | 3276.57 | 76.65 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------|--------------|----------|---------------|------------------------------|-------|----------|-------|---------|-------|
| | | राज्य | कोयला | खापरखेड़ा टीपीएस | 1340 | 7471.18 | 63.65 | 1464.05 | 74.63 |
| | | राज्य | कोयला | कोराडी टीपीएस | 2400 | 8429.52 | 40.09 | 1818.80 | 51.76 |
| | | राज्य | कोयला | नासिक टीपीएस | 630 | 2316.16 | 41.97 | 583.92 | 63.31 |
| | | राज्य | कोयला | पारस टीपीएस | 500 | 2628.25 | 60.01 | 709.54 | 96.93 |
| | | राज्य | कोयला | पार्ली टीपीएस | 1170 | 2842.07 | 27.73 | 156.17 | 9.12 |
| | | राज्य | प्राकृतिक गैस | उरन सीसीपीपी | 672 | 2574.69 | 43.74 | 398.57 | 40.51 |
| | | निजी | कोयला | अमरावती टीपीएस | 1350 | 4074.09 | 34.45 | 599.34 | 30.32 |
| | | निजी | कोयला | दहानु टीपीएस | 500 | 3617.02 | 82.58 | 618.14 | 84.45 |
| | | निजी | कोयला | धारीवाल टीपीपी | 600 | 3228.90 | 61.43 | 607.87 | 69.20 |
| | | निजी | कोयला | जीएमआर वरौरा टीपीएस | 600 | 3895.25 | 74.11 | 771.38 | 87.82 |
| | | निजी | कोयला | जेएसडब्ल्यू रत्नागिरी टीपीपी | 1200 | 8019.75 | 76.29 | 1428.05 | 81.29 |
| | | निजी | कोयला | तिरौरा टीपीएस | 3300 | 21665.55 | 74.95 | 4266.77 | 88.32 |
| | | निजी | कोयला | टॉम्बे सीसीपीपी | 1250 | 5018.74 | 45.83 | 853.70 | 46.65 |
| | | निजी | प्राकृतिक गैस | टॉम्बे टीपीएस | 180 | 1410.82 | 89.47 | 260.75 | 98.95 |
| दक्षिणी क्षेत्र | आंध्र प्रदेश | केंद्रीय | कोयला | सिम्हाद्री | 2000 | 12449.08 | 71.06 | 1897.08 | 64.79 |
| | | राज्य | कोयला | दामोदरम संजीवैय्या टीपीएस | 1600 | 6957.21 | 49.64 | 1480.29 | 63.20 |
| | | राज्य | कोयला | डॉ. एन. टाटा राव टीपीएस | 1760 | 10885.93 | 70.61 | 2074.69 | 80.52 |
| | | राज्य | कोयला | रायलसीमा टीपीएस | 1650 | 6637.55 | 45.92 | 1575.98 | 65.24 |
| | | राज्य | प्राकृतिक गैस | जेगुरुपडु सीसीपीपी फेज-I | 235.4 | 826.31 | 40.07 | 83.88 | 24.34 |
| | | निजी | कोयला | पैनमपुरम टीपीपी | 1320 | 8369.17 | 72.38 | 1532.72 | 79.31 |
| | | निजी | कोयला | एसजीपीएल टीपीपी | 1320 | 9736.08 | 84.20 | 1706.57 | 88.31 |
| | | निजी | कोयला | विजाग टीपीपी | 1040 | 949.10 | 10.42 | 604.73 | 39.72 |
| | | निजी | प्राकृतिक गैस | गोदावरी सीसीपीपी | 208 | 1142.85 | 62.72 | 82.21 | 27.00 |
| | | निजी | प्राकृतिक गैस | कोंडापल्ली सीसीपीपी | 350 | 1667.06 | 54.37 | 175.79 | 34.31 |
| | | निजी | प्राकृतिक गैस | विजेश्वरम सीसीपीपी | 272 | 1114.49 | 46.77 | 116.23 | 29.19 |
| | कर्नाटक | केंद्रीय | कोयला | कुडगी एसटीपीपी | 2400 | 7566.33 | 40.07 | 1088.53 | 30.98 |
| | | राज्य | कोयला | बेल्लारी टीपीएस | 1700 | 4059.06 | 27.26 | 877.22 | 35.25 |
| | | राज्य | कोयला | रायचूर टीपीएस | 1720 | 8917.98 | 59.19 | 2165.60 | 86.00 |
| | | निजी | कोयला | टोरंगल्लू टीपीएस (एसबीयू-I) | 260 | 1319.47 | 57.93 | 190.29 | 49.99 |
| | | निजी | कोयला | टोरंगल्लू टीपीएस (एसबीयू-II) | 600 | 2484.62 | 47.27 | 301.50 | 34.32 |
| | | निजी | कोयला | उडुपी टीपीपी | 1200 | 5214.35 | 49.60 | 1050.60 | 59.80 |
| | पुडुचेरी | राज्य | प्राकृतिक गैस | कराईकल सीसीपीपी | 32.5 | 229.88 | 80.74 | 42.61 | 89.55 |
| | तमिलनाडु | केंद्रीय | कोयला | तूतीकोरिन (जेवी) टीपीपी | 1000 | 5486.62 | 62.63 | 502.64 | 34.33 |
| | | केंद्रीय | कोयला | वल्लूर टीपीपी | 1500 | 7706.87 | 58.65 | 1202.42 | 54.76 |
| | | केंद्रीय | लिग्नाइट | नैवेली (एक्सटें.) टीपीएस | 420 | 2949.65 | 80.17 | 565.52 | 91.97 |
| | | केंद्रीय | लिग्नाइट | नैवेली टीपीएस-I | 500 | 3105.90 | 56.19 | 500.41 | 68.36 |
| | | केंद्रीय | लिग्नाइट | नैवेली टीपीएस-II | 1470 | 10744.54 | 83.44 | 1828.33 | 84.96 |
| | | केंद्रीय | लिग्नाइट | नैवेली टीपीएस-II एक्सपें. | 500 | 1931.31 | 44.09 | 324.75 | 44.36 |
| | | राज्य | कोयला | मेडूर टीपीएस | 840 | 5807.22 | 78.92 | 1080.43 | 87.86 |

| | | | | | | | | | |
|----------------|--------------|----------|---------------|----------------------------|--------|----------|-------|---------|-------|
| | | राज्य | कोयला | मेडूर टीपीएस-II | 600 | 3153.10 | 59.99 | 726.26 | 82.68 |
| | | राज्य | कोयला | नॉर्थ चेन्नई टीपीएस | 1830 | 10711.12 | 66.82 | 2065.02 | 77.08 |
| | | राज्य | कोयला | तूतीकोरिन टीपीएस | 1050 | 6306.31 | 68.56 | 1280.64 | 83.31 |
| | | राज्य | प्राकृतिक गैस | कोविकलपल सीसीपीपी | 107.88 | 315.36 | 33.37 | 38.92 | 24.64 |
| | | राज्य | प्राकृतिक गैस | कुड्डलम सीसीपीपी | 100 | 410.27 | 46.83 | 29.09 | 19.87 |
| | | राज्य | प्राकृतिक गैस | वलुथूर सीसीपीपी | 186.2 | 1178.03 | 72.22 | 227.74 | 83.54 |
| | | निजी | कोयला | आईटीपीसीएल टीपीपी | 1200 | 5544.59 | 52.75 | 1105.07 | 62.90 |
| | | निजी | कोयला | मुथियारा टीपीपी | 1200 | 3221.74 | 30.65 | 346.04 | 19.70 |
| | | निजी | लिग्नाइट | नेवेली टीपीएस(जेड) | 250 | 1290.36 | 58.92 | 260.66 | 71.22 |
| | | निजी | प्राकृतिक गैस | करूपपुर सीसीपीपी | 119.8 | 647.48 | 61.70 | 129.26 | 73.70 |
| | | निजी | प्राकृतिक गैस | वैलंटरवी सीसीपीपी | 52.8 | 352.86 | 76.29 | 51.54 | 66.68 |
| | तेलंगाना | केंद्रीय | कोयला | रामागुंडेम एसटीपीएस | 2600 | 18547.91 | 81.44 | 3151.14 | 82.79 |
| | | राज्य | कोयला | काकतिया टीपीएस | 1100 | 7727.37 | 80.19 | 1491.33 | 92.61 |
| | | राज्य | कोयला | कोथागुंडेम टीपीएस | 420 | 3611.15 | 57.25 | 424.75 | 69.08 |
| | | राज्य | कोयला | कोथागुंडेम टीपीएस (न्यू) | 1800 | 9210.48 | 87.32 | 2438.21 | 92.52 |
| | | राज्य | कोयला | रामागुंडेम - बी टीपीएस | 62.5 | 423.03 | 77.27 | 83.42 | 91.17 |
| | | राज्य | कोयला | सिंगरैनी टीपीपी | 1200 | 8698.48 | 82.75 | 1618.23 | 92.11 |
| पूर्वी क्षेत्र | बिहार | केंद्रीय | कोयला | बाढ़-II | 1320 | 9845.23 | 85.14 | 1753.33 | 90.73 |
| | | केंद्रीय | कोयला | कहलगांव टीपीएस | 2340 | 16485.91 | 80.43 | 2502.74 | 73.06 |
| | | केंद्रीय | कोयला | मुजफ्फरपुर टीपीएस | 610 | 3039.78 | 56.89 | 670.94 | 75.13 |
| | | केंद्रीय | कोयला | नबी नगर टीपीपी | 750 | 2754.75 | 60.26 | 764.56 | 69.63 |
| | | राज्य | कोयला | बरौनी टीपीएस | 710 | 44.85 | 2.44 | 8.89 | 0.86 |
| | झारखंड | केंद्रीय | कोयला | बोकारो 'बी' टीपीएस | 210 | 688.44 | 37.42 | 52.99 | 17.24 |
| | | केंद्रीय | कोयला | बोकारो टीपीएस 'ए' एक्सपें. | 500 | 2920.75 | 66.68 | 527.60 | 72.08 |
| | | केंद्रीय | कोयला | चंद्रपुर (डीवीसी) टीपीएस | 630 | 3560.59 | 64.52 | 689.08 | 74.71 |
| | | केंद्रीय | कोयला | कोडरमा टीपीपी | 1000 | 6278.75 | 71.68 | 1275.31 | 87.11 |
| | | राज्य | कोयला | टेनुघाट टीपीएस | 420 | 1689.05 | 45.91 | 415.97 | 67.65 |
| | | निजी | कोयला | जोजीबेरा टीपीएस | 240 | 1519.04 | 72.25 | 282.86 | 80.50 |
| | | निजी | कोयला | महादेव प्रसाद एसटीपीपी | 540 | 2876.22 | 60.80 | 469.85 | 59.43 |
| | | निजी | कोयला | मैथॉन आरबी टीपीपी | 1050 | 7267.81 | 79.02 | 1221.50 | 79.46 |
| | ओडिशा | केंद्रीय | कोयला | तालचेर (ओल्ड) टीपीएस | 460 | 3606.84 | 89.51 | 663.49 | 98.52 |
| | | केंद्रीय | कोयला | तालचेर एसटीपीएस | 3000 | 21242.30 | 80.83 | 3812.57 | 86.81 |
| | | राज्य | कोयला | आईबी वैली टीपीएस | 420 | 3085.46 | 83.86 | 546.88 | 88.94 |
| | | निजी | कोयला | देरांग टीपीपी | 1200 | 4213.60 | 40.08 | 753.22 | 42.87 |
| | | निजी | कोयला | कमलंगा टीपीएस | 1050 | 6690.02 | 72.73 | 1228.71 | 79.93 |
| | | निजी | कोयला | स्टरलाईट आयात | 1200 | 828.09 | 7.88 | 74.40 | 4.23 |
| | पश्चिम बंगाल | केंद्रीय | कोयला | फरक्का एसटीपीएस | 2100 | 14846.44 | 80.70 | 2444.88 | 79.52 |
| | | केंद्रीय | कोयला | दुर्गापुर स्टील टीपीएस | 1000 | 6293.54 | 71.84 | 1230.18 | 84.03 |
| | | केंद्रीय | कोयला | दुर्गापुर टीपीएस | 210 | 981.28 | 53.34 | 34.18 | 11.12 |

| | | | | | | | | | |
|----------------|----------|----------|---------------|---------------------------------|--------|----------|-------|---------|-------|
| | | केंद्रीय | कोयला | मेजा टीपीएस | 2340 | 12744.35 | 62.17 | 2606.70 | 76.09 |
| | | केंद्रीय | कोयला | रघुनाथपुर टीपीपी | 1200 | 3208.40 | 30.52 | 827.95 | 47.13 |
| | | राज्य | कोयला | बाकरेश्वर टीपीएस | 1050 | 7182.26 | 78.09 | 1439.12 | 93.62 |
| | | राज्य | कोयला | बंडेल टीपीएस | 330 | 1315.39 | 44.18 | 204.99 | 42.43 |
| | | राज्य | कोयला | डी.पी.एल. टीपीएस | 660 | 2442.23 | 42.24 | 544.06 | 56.31 |
| | | राज्य | कोयला | कोलाघाट टीपीएस | 1260 | 4422.88 | 40.07 | 772.60 | 41.88 |
| | | राज्य | कोयला | सागरदिघी टीपीएस | 1600 | 6051.94 | 49.94 | 1236.81 | 52.80 |
| | | राज्य | कोयला | संतालडिह टीपीएस | 500 | 3552.62 | 81.11 | 674.12 | 92.09 |
| | | निजी | कोयला | बज बज टीपीएस | 750 | 6011.69 | 91.50 | 1049.73 | 95.60 |
| | | निजी | कोयला | हल्दिया टीपीपी | 600 | 4614.74 | 87.80 | 753.52 | 85.78 |
| | | निजी | कोयला | साउथर्न रिप. टीपीएस | 135 | 283.78 | 24.00 | 101.32 | 51.26 |
| पूर्वी क्षेत्र | असम | केंद्रीय | कोयला | बोंगाईगांव टीपीपी | 750 | 2824.21 | 64.44 | 708.16 | 64.50 |
| | | केंद्रीय | प्राकृतिक गैस | कथलगुरी सीसीपीपी | 291 | 1639.49 | 64.31 | 285.69 | 67.06 |
| | | राज्य | प्राकृतिक गैस | लकवा जीटी | 97.2 | 464.66 | 50.67 | 56.15 | 39.46 |
| | | राज्य | प्राकृतिक गैस | लकवा रिप्लेसमेंट पावर प्रोजेक्ट | 69.76 | 287.86 | 81.11 | 91.18 | 89.29 |
| | | राज्य | प्राकृतिक गैस | नामरूप सीसीपीपी | 161.25 | 314.40 | 22.26 | 41.86 | 17.73 |
| | त्रिपुरा | केंद्रीय | प्राकृतिक गैस | अगरतला जीटी | 135 | 650.63 | 55.02 | 116.01 | 58.70 |
| | | केंद्रीय | प्राकृतिक गैस | मोनार्चक सीसीपीपी | 101 | 681.27 | 77.00 | 110.08 | 74.45 |
| | | केंद्रीय | प्राकृतिक गैस | त्रिपुरा सीसीपीपी | 726.6 | 4711.38 | 74.02 | 872.93 | 82.06 |
| | | राज्य | प्राकृतिक गैस | बारामुरा जीटी | 58.5 | 173.54 | 33.86 | 28.99 | 33.85 |
| | | राज्य | प्राकृतिक गैस | रोखिया जीटी | 111 | 414.03 | 42.58 | 74.31 | 45.73 |

* वास्तविक सह आकलन पर आधारित अनंतिम

टिप्पणी:

1. 25 मेगावाट और उससे अधिक के ताप विद्युत स्टेशनों से सकल उत्पादन।

2. ऊपर दिए गए आंकड़े संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में भौगोलिक रूप से स्थित सभी विद्युत स्टेशनों (केंद्रीय, राज्य और निजी क्षेत्र) का सकल उत्पादन दर्शाते हैं।

लोक सभा में दिनांक 04.07.2019 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2222 के भाग (ग) और (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

| 2018-19 के दौरान कोयले की संयंत्र-वार वार्षिक आवश्यकता, प्राप्ति और खपत | | | | | |
|---|----------------|--------------------------------|------------------------|--------------------|-------|
| | | | | आंकड़े '000 टन में | |
| क्षेत्र | यूटिलिटी | संयंत्र का नाम | 85% पीएलएफ पर आवश्यकता | 2018-19 | |
| | | | | प्राप्ति | खपत |
| राज्य | एचपीजीसीएल | पानीपत टीपीएस | 4475 | 2412 | 2207 |
| राज्य | एचपीजीसीएल | राजीव गांधी टीपीएस | 6263 | 2950 | 2700 |
| राज्य | एचपीजीसीएल | यमुना नगर टीपीएस | 2945 | 2010 | 2190 |
| राज्य | पीएसपीसीएल | जीएच टीपीएस (लेह. मोह.) | 4520 | 1944 | 1640 |
| राज्य | पीएसपीसीएल | रोपार टीपीएस | 4353 | 1476 | 1162 |
| राज्य | आरआरवीयूएनएल | छाबड़ा टीपीपी | 5137 | 6667 | 4314 |
| राज्य | आरआरवीयूएनएल | कोटा टीपीएस | 6217 | 5555 | 5334 |
| राज्य | आरआरवीयूएनएल | सूरतगढ़ टीपीएस | 6727 | 4527 | 4318 |
| राज्य | आरआरवीयूएनएल | कालीसिंध टीपीएस | 5019 | 3223 | 3118 |
| राज्य | यूपीआरवीयूएनएल | अनपरा टीपीएस | 12304 | 12544 | 12654 |
| राज्य | यूपीआरवीयूएनएल | हरदुआगंज टीपीएस | 2785 | 1890 | 1942 |
| राज्य | यूपीआरवीयूएनएल | ओबरा टीपीएस | 5689 | 2261 | 2548 |
| राज्य | यूपीआरवीयूएनएल | परीछा टीपीएस | 5851 | 3400 | 3432 |
| राज्य | सीएसपीजीसीएल | डीएसपीएम टीपीएस | 2397 | 2530 | 2464 |
| राज्य | सीएसपीजीसीएल | कोरबा-II व III | 3205 | 1522 | 1510 |
| राज्य | सीएसपीजीसीएल | कोरबा-वेस्ट टीपीएस | 7018 | 6973 | 6663 |
| राज्य | सीएसपीजीसीएल | मारवा टीपीएस | 4876 | 4207 | 4201 |
| राज्य | जीएसईसीएल | गांधीनगर टीपीएस | 2966 | 2622 | 2342 |
| राज्य | जीएसईसीएल | उकई टीपीएस | 4965 | 4458 | 4168 |
| राज्य | जीएसईसीएल | वानकबोरी टीपीएस | 6850 | 5817 | 5221 |
| राज्य | एमपीपीजीसीएल | अमरकंटक एक्सटें. टीपीएस | 841 | 829 | 880 |
| राज्य | एमपीपीजीसीएल | संजय गांधी टीपीएस | 6543 | 5675 | 5692 |
| राज्य | एमपीपीजीसीएल | सतपुड़ा टीपीएस | 7550 | 5174 | 5697 |
| राज्य | एमपीपीजीसीएल | श्रीसिंगाजी टीपीपी | 10313 | 5738 | 5774 |
| राज्य | महाजैको | भुसावल टीपीएस | 6804 | 5139 | 4981 |
| राज्य | महाजैको | चंद्रपुर (महाराष्ट्र) एसटीपीएस | 15884 | 11826 | 11580 |
| राज्य | महाजैको | खापरखेड़ा टीपीएस | 8640 | 6428 | 6470 |
| राज्य | महाजैको | कोराडी टीपीएस | 13924 | 6577 | 6568 |
| राज्य | महाजैको | नासिक टीपीएस | 3777 | 1890 | 1865 |
| राज्य | महाजैको | पारस टीपीएस | 2736 | 2005 | 1932 |
| राज्य | महाजैको | पार्ली टीपीएस | 6343 | 2385 | 2069 |
| राज्य | एपीपीडीसीएल | दामोदरम संजीवैय्या टीपीएस | 7604 | 4438 | 4440 |
| राज्य | एपजैको | डॉ. एन. टाटा राव टीपीएस | 10758 | 9132 | 8936 |
| राज्य | एपजैको | रायलसीमा टीपीएस | 8934 | 4981 | 4827 |
| राज्य | केपीसीएल | बेल्लारी डीजी | 8169 | 2605 | 2619 |
| राज्य | केपीसीएल | रायचूर टीपीएस | 8916 | 6928 | 6208 |
| राज्य | केपीसीएल | येरमारस टीपीपी | 7145 | 445 | 474 |
| राज्य | टांजैडको | मेडूर टीपीएस | 3175 | 4121 | 4068 |
| राज्य | टांजैडको | नॉर्थ चेन्नई टीपीएस | 9919 | 7773 | 7797 |
| राज्य | टांजैडको | तूतीकोरिन टीपीएस | 5640 | 4717 | 4549 |
| राज्य | टीएसजैको | काकातिया टीपीएस | 4546 | 4325 | 4289 |
| राज्य | टीएसजैको | कोथागुडेम टीपीएस | 5449 | 3989 | 3671 |
| राज्य | टीएसजैको | कोथागुडेम टीपीएस (न्यू) | 4437 | 6210 | 6417 |

| | | | | | |
|----------|-------------------|--------------------------|-------|-------|-------|
| राज्य | टीएसजेंको | रामागुंडेम - बी टीपीएस | 318 | 298 | 289 |
| राज्य | टीएसजेंको | सिंगरैनी टीपीपी | 5336 | 5096 | 5195 |
| राज्य | टीवीयूएनएल | टेनुघाट टीपीएस | 2282 | 1078 | 1232 |
| राज्य | ओपीजीसीएल | आईबी वैली टीपीएस | 2599 | 2613 | 2564 |
| राज्य | डब्ल्यूबीपीडीसीएल | बाकरेश्वर टीपीएस | 4515 | 4092 | 4148 |
| राज्य | डब्ल्यूबीपीडीसीएल | बंडेल टीपीएस | 2147 | 1164 | 1150 |
| राज्य | डब्ल्यूबीपीडीसीएल | डी.पी.एल. टीपीएस | 3260 | 1608 | 1620 |
| राज्य | डब्ल्यूबीपीडीसीएल | कोलाघाट टीपीएस | 8164 | 4079 | 3849 |
| राज्य | डब्ल्यूबीपीडीसीएल | सागरदिघी टीपीएस | 7095 | 3780 | 3604 |
| राज्य | डब्ल्यूबीपीडीसीएल | संतालडिह टीपीएस | 2492 | 2437 | 2378 |
| केंद्रीय | एनटीपीसी | बदरपुर टीपीएस | 3760 | 824 | 916 |
| केंद्रीय | एनटीपीसी-जेवी | इंदिरा गांधी एसटीपीपी | 6849 | 5225 | 4530 |
| केंद्रीय | एनटीपीसी | दादरी (एनसीटीपीपी) | 8507 | 7161 | 6612 |
| केंद्रीय | एनटीपीसी | रिहंद एसटीपीएस | 12974 | 13356 | 13177 |
| केंद्रीय | एनटीपीसी | सिंगरौली एसटीपीएस | 9424 | 9073 | 9365 |
| केंद्रीय | एनटीपीसी | टांडा टीपीएस | 2235 | 2084 | 1618 |
| केंद्रीय | एनटीपीसी | ऊंचाहार टीपीएस | 7171 | 4748 | 4499 |
| केंद्रीय | एनटीपीसी-जेवी | भिलाई टीपीएस | 2466 | 2333 | 2270 |
| केंद्रीय | एनटीपीसी | कोरबा एसटीपीएस | 13188 | 13784 | 13681 |
| केंद्रीय | एनटीपीसी | सीपत टीपीएस | 13240 | 14541 | 14265 |
| केंद्रीय | एनटीपीसी | विंध्याचल एसटीपीएस | 23391 | 24233 | 24774 |
| केंद्रीय | एनटीपीसी | मौदा टीपीएस | 11649 | 8268 | 8010 |
| केंद्रीय | एनटीपीसी | सोलापुर | 3485 | 1570 | 1265 |
| केंद्रीय | एनटीपीसी | सिम्हाद्री | 10651 | 9179 | 8904 |
| केंद्रीय | एनटीपीसी | कुडगी एसटीपीपी | 10172 | 3967 | 4307 |
| केंद्रीय | एनएलसी-टीएन-जेवी | तूतीकोरिन (जेवी) टीपीपी | 4648 | 3264 | 3425 |
| केंद्रीय | एनटीपीसी-जेवी | वल्लूर टीपीपी | 8151 | 5060 | 5624 |
| केंद्रीय | एनटीपीसी | रामागुंडेम एसटीपीएस | 12089 | 11816 | 11582 |
| केंद्रीय | एनटीपीसी | बाढ़-II | 5790 | 6361 | 5800 |
| केंद्रीय | एनटीपीसी | कहलगांव टीपीएस | 13305 | 13147 | 12589 |
| केंद्रीय | एनटीपीसी-जेवी | मुजफ्फरपुर टीपीएस | 3131 | 2203 | 2096 |
| केंद्रीय | एनटीपीसी-जेवी | नबी नगर टीपीपी | 2123 | 1640 | 1571 |
| केंद्रीय | डीवीसी | बोकारो टीपीएस | 3055 | 2182 | 2085 |
| केंद्रीय | डीवीसी | चंद्रपुर (डीवीसी) टीपीएस | 2631 | 2392 | 1997 |
| केंद्रीय | डीवीसी | कोडरमा टीपीपी | 4261 | 3697 | 3593 |
| केंद्रीय | एनटीपीसी | तालचेर (ओल्ड) टीपीएस | 2800 | 2992 | 2948 |
| केंद्रीय | एनटीपीसी | तालचेर एसटीपीएस | 18192 | 17059 | 17300 |
| केंद्रीय | डीवीसी | दुर्गापुर स्टील टीपीएस | 4659 | 4267 | 3938 |
| केंद्रीय | डीवीसी | दुर्गापुर टीपीएस | 1156 | 890 | 725 |
| केंद्रीय | एनटीपीसी | फरक्का एसटीपीएस | 10255 | 9732 | 9737 |
| केंद्रीय | डीवीसी | मेजिया टीपीएस | 11305 | 8522 | 8269 |
| केंद्रीय | डीवीसी | रघुनाथपुर टीपीपी | 5286 | 1995 | 1898 |
| केंद्रीय | एनटीपीसी | बोंगाईगांव टीपीपी | 2092 | 1746 | 1587 |
| निजी | आईपीपी | महात्मा गांधी टीपीएस | 5925 | 4618 | 4158 |
| निजी | आईपीपी | गोइंदवाल साहिब | 2756 | 1711 | 1676 |
| निजी | आईपीपी | राजपुरा टीपीपी | 5444 | 4967 | 4765 |
| निजी | आईपीपी | तलवंडी साबो टीपीपी | 9124 | 6974 | 6585 |
| निजी | आईपीपी | कवाई टीपीएस | 5599 | 4566 | 4329 |
| निजी | आईपीपी | अनपरा सी टीपीएस | 5344 | 4930 | 4927 |
| निजी | आईपीपी | बरखेड़ा टीपीएस | 514 | 106 | 114 |
| निजी | आईपीपी | खांबरखेड़ा टीपीएस | 517 | 106 | 109 |
| निजी | आईपीपी | कुंदरकी टीपीएस | 501 | 158 | 152 |
| निजी | आईपीपी | ललितपुर टीपीएस | 9212 | 3970 | 3405 |
| निजी | आईपीपी | मकसूदपुर टीपीएस | 504 | 92 | 106 |
| निजी | आईपीपी | प्रयागराज टीपीपी | 9105 | 4850 | 4792 |

| | | | | | |
|------|--------|------------------------------|-------|-------|-------|
| निजी | आईपीपी | रोसा टीपीपी फेज-I | 5293 | 2999 | 2571 |
| निजी | आईपीपी | उतरौला टीपीएस | 500 | 144 | 146 |
| निजी | आईपीपी | अकलतारा टीपीएस | 8490 | 5062 | 5012 |
| निजी | आईपीपी | बाल्को टीपीएस | 2865 | 1779 | 1775 |
| निजी | आईपीपी | बंदाखार टीपीपी | 1661 | 1353 | 1589 |
| निजी | आईपीपी | बारादरहा टीपीएस | 6246 | 4970 | 4704 |
| निजी | आईपीपी | बिंजकोट टीपीपी | 3509 | 1040 | 1151 |
| निजी | आईपीपी | नवापारा टीपीपी | 3532 | 2458 | 2447 |
| निजी | आईपीपी | पथाडी टीपीपी | 3003 | 2754 | 2886 |
| निजी | आईपीपी | तमनार टीपीपी | 13460 | 5350 | 5306 |
| निजी | आईपीपी | उचपिंडा टीपीपी | 5817 | 1359 | 1413 |
| निजी | आईपीपी | ओपी जिंदल टीपीएस | 5533 | 2661 | 2489 |
| निजी | आईपीपी | रायखेड़ा टीपीपी | 6021 | 1650 | 1671 |
| निजी | आईपीपी | साबरमती टीपीएस | 1715 | 1560 | 1521 |
| निजी | आईपीपी | मुंद्रा टीपीएस | 19064 | 13365 | 13251 |
| निजी | आईपीपी | मुंद्रा यूएमटीपीपी | 12511 | 11072 | 11274 |
| निजी | आईपीपी | सिक्का रिप. टीपीएस | 1848 | 1415 | 1353 |
| निजी | आईपीपी | अनूपपुर टीपीपी | 5343 | 3988 | 4000 |
| निजी | आईपीपी | बीना टीपीएस | 2491 | 1671 | 1676 |
| निजी | आईपीपी | सिओनी टीपीपी | 3252 | 1823 | 1820 |
| निजी | आईपीपी | महान टीपीपी | 5810 | 2376 | 2094 |
| निजी | आईपीपी | निगरी टीपीपी | 5443 | 4157 | 4059 |
| निजी | आईपीपी | सासन यूएमटीपीपी | 16218 | 18000 | 18084 |
| निजी | आईपीपी | अमरावती टीपीएस | 5933 | 3029 | 2405 |
| निजी | आईपीपी | बुटीबोरी टीपीपी | 2903 | 1431 | 1438 |
| निजी | आईपीपी | दहानु टीपीएस | 2230 | 2231 | 2167 |
| निजी | आईपीपी | धारीवाल टीपीपी | 1893 | 1532 | 1368 |
| निजी | आईपीपी | जीएमआर वरौरा टीपीएस | 2884 | 2498 | 2514 |
| निजी | आईपीपी | तिरौरा टीपीएस | 15528 | 14265 | 13691 |
| निजी | आईपीपी | वर्धा वरौरा टीपीपी | 2941 | 800 | 770 |
| निजी | आईपीपी | जेएसडब्ल्यू रत्नागिरी टीपीपी | 3763 | 3369 | 3377 |
| निजी | आईपीपी | द्रॉम्बे टीपीएस | 4254 | 2319 | 2294 |
| निजी | आईपीपी | पैनमपुरम टीपीपी | 5751 | 4663 | 4897 |
| निजी | आईपीपी | विजाग टीपीपी | 5033 | 473 | 605 |
| निजी | आईपीपी | एसजीपीएल टीपीपी | 4937 | 4820 | 4891 |
| निजी | आईपीपी | थामिनापट्टनम टीपीएस | 1117 | 15 | 51 |
| निजी | आईपीपी | टोरंगल्लू टीपीएस (एसबीयू-I) | 968 | 372 | 372 |
| निजी | आईपीपी | टोरंगल्लू टीपीएस (एसबीयू-II) | 2075 | 1129 | 1154 |
| निजी | आईपीपी | उडुपी टीपीपी | 3804 | 2198 | 2220 |
| निजी | आईपीपी | आईटीपीसीएल टीपीपी | 5004 | 3007 | 3105 |
| निजी | आईपीपी | मुथियारा टीपीपी | 5579 | 2150 | 2012 |
| निजी | आईपीपी | महादेव प्रसाद एसटीपीपी | 2793 | 1905 | 1998 |
| निजी | आईपीपी | मैथॉन आरबी टीपीपी | 4608 | 4483 | 4284 |
| निजी | आईपीपी | जोजोबेरा टीपीएस | 1224 | 1122 | 1041 |
| निजी | आईपीपी | देरांग टीपीपी | 7229 | 3437 | 3409 |
| निजी | आईपीपी | कमलंगा टीपीएस | 5611 | 5085 | 4802 |
| निजी | आईपीपी | स्टेरलाईट आयात | 6606 | 411 | 612 |
| निजी | आईपीपी | बज बज टीपीएस | 3306 | 3626 | 3559 |
| निजी | आईपीपी | हल्दिया टीपीपी | 3003 | 3100 | 3102 |
| निजी | आईपीपी | साउथर्न रिप. टीपीएस | 704 | 168 | 199 |

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2247

जिसका उत्तर 04 जुलाई, 2019 को दिया जाना है ।

सौभाग्य का कार्यान्वयन

2247. श्रीमती दिया कुमारी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना-सौभाग्य के कार्यान्वयन और कवरेज की स्थिति क्या है;

(ख) क्या उक्त योजना ने सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों को कवर किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) राजस्थान राज्य में विशेषकर नागौर, पाली, अजमेर और राजसमंद जिलों में उक्त योजना के कार्यान्वयन और कवरेज की स्थिति क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री

(श्री आर. के. सिंह)

(क) और (ख) : भारत सरकार ने देश में अंतिम छोर कनेक्टिविटी और ग्रामीण क्षेत्रों में सभी घरों एवं शहरी क्षेत्रों में सभी निर्धन घरों को विद्युत कनेक्शन प्रदान कर घरों के सार्वभौमिक विद्युतीकरण के लिए अक्टूबर, 2017 में प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना-सौभाग्य शुरू की थी। राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार सौभाग्य स्कीम के प्रारंभ से 2.63 करोड़ घरों का विद्युतीकरण कर दिया गया है। ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

(ग) : राजस्थान सरकार ने पहले सौभाग्य पोर्टल पर स्थिति को अद्यतन किया था कि राज्य में सभी इच्छुक घरों का 31.03.2019 तक विद्युतीकरण कर दिया है। तथापि राज्य सरकार ने अब दिनांक 10.06.2019 के पत्र द्वारा सूचित किया है कि 1.56 लाख घर गैर-विद्युतीकृत हैं और विद्युत कनेक्शन लेने के इच्छुक हैं।

राजस्थान सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार नागौर, पाली, अजमेर एवं राजसमंद जिलों में सौभाग्य के कार्यान्वयन की स्थिति निम्नानुसार है:

| क्र. सं. | जिले का नाम | लक्षित घरों की संख्या | उपलब्ध-घरों की संख्या |
|----------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| 1. | नागौर | 22167 | 21467 |
| 2. | पाली | 3472 | 3472 |
| 3. | अजमेर | 1292 | 1104 |
| 4. | राजसमंद | 539 | 335 |

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 04.07.के (ख) और (क) के भाग 2247 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2019 उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

सौभाग्य की शुरुआत से विद्युतीकृत घर)31.03.2019 की स्थिति के अनुसार(

| क्रम सं. | राज्य | कुल विद्युतीकृत घर |
|----------|-----------------|--------------------|
| 1 | आंध्र प्रदेश | 181,930 |
| 2 | अरुणाचल प्रदेश | 47,089 |
| 3 | असम | 1,745,149 |
| 4 | बिहार | 3,259,041 |
| 5 | छत्तीसगढ़ | 749,397 |
| 6 | गुजरात | 41,317 |
| 7 | हरियाणा | 54,681 |
| 8 | हिमाचल प्रदेश | 12,891 |
| 9 | जम्मू और कश्मीर | 387,501 |
| 10 | झारखंड | 1,530,708 |
| 11 | कर्नाटक | 356,974 |
| 12 | मध्य प्रदेश | 1,984,264 |
| 13 | महाराष्ट्र | 1,517,922 |
| 14 | मणिपुर | 120,748 |
| 15 | मेघालय | 199,839 |
| 16 | मिजोरम | 27,970 |
| 17 | नागालैंड | 132,507 |
| 18 | ओडिशा | 2,452,444 |
| 19 | पुडुचेरी | 912 |
| 20 | पंजाब | 3,477 |
| 21 | राजस्थान | 1,862,736 |
| 22 | सिक्किम | 14,900 |
| 23 | तमिलनाडु | 2,170 |
| 24 | तेलंगाना | 515,084 |
| 25 | त्रिपुरा | 139,090 |
| 26 | उत्तर प्रदेश | 7,980,568 |
| 27 | उत्तराखंड | 248,751 |
| 28 | पश्चिम बंगाल | 732,290 |
| | कुल | 26,284,350 |

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-2254
जिसका उत्तर 04 जुलाई, 2019 को दिया जाना है।

24x7 विद्युत आपूर्ति

2254. श्री डी. के. सुरेश:

श्रीमती रंजनबेन भट्ट:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश के सभी भागों में 24x7 विद्युत आपूर्ति प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई लक्ष्य निर्धारित किया है; और

(घ) यदि हां, तो इसे प्राप्त किए जाने के लिए संभावित समय-सीमा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री

(श्री आर. के. सिंह)

(क) से (घ) : विद्युत समवर्ती सूची का विषय होने के कारण विद्युत की आपूर्ति/वितरण प्राथमिक रूप से संबंधित राज्य सरकारों और/अथवा राज्य विद्युत यूटिलिटीयों के अधिकार-क्षेत्र में आता है। सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों ने 1 अप्रैल, 2019 से 24X7 विद्युत की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार के साथ समझौता-ज्ञापन हस्ताक्षरित किए हैं। कई राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों ने नियोजित बिजली कटौती तथा अप्रत्याशित घटनाओं के कारण व्यवधान को छोड़कर 24X7 विद्युत आपूर्ति का दावा किया है।

24X7 विद्युत आपूर्ति करने के लिए उनकी सहायता के लिए वितरण कंपनियों की अवसंरचना के साथ-साथ वित्तीय एवं प्रचालनात्मक दक्षता को सुदृढ़ करने के लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई), एकीकृत विद्युत विकास योजना (आईपीडीएस) तथा उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेस योजना (उदय) सहित अपनी योजनाओं के लिए भारत सरकार राज्यों के प्रयासों की सहायता कर रही है।
